

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-74

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को एल.ई.डी. लाइट से बदलना

*74. श्री डी. के. सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सभी पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एल.ई.डी. लाइट से बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई बजटीय प्रावधान किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को एल.ई.डी. लाइट से बदलना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 74 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जनवरी, 2015 को पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को मार्च, 2019 तक स्मार्ट एवं ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल कार्यक्रम (एसएलएनपी) की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जा रहा है। 10 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार, पूरे भारत में लगभग 26.90 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदला गया है।

(घ) और (ड): एसएलएनपी के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। यह कार्यक्रम सतत व्यावसायिक मॉडल पर आधारित है, जहाँ दक्ष प्रकाश व्यवस्था की लागत बिजली के बिल की बचतों के माध्यम से एक समय अवधि में ऊर्जा और अनुरक्षण व्यय में बचतों से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा पुनः भुगतान किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, समस्त अपफ्रंट निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है। ईईएसएल देशभर में एलईडी स्ट्रीट लाइटों की कुल माँग को समेकित करके पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एलईडी स्ट्रीट लाइटों की खरीद करता है। पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एलईडी लाइटों की थोक खरीद से खुदरा बाजार की तुलना में अपेक्षाकृत कम दरों पर यूएलबी में एलईडी लाइटें लगाने के लिए ईईएसएल को सक्षम बनाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-76

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

जल विद्युत उत्पादन क्षमता

*76. डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में वर्तमान जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता के सर्वेक्षण/आकलन के लिए सरकार ने कई एजेंसियों की सेवा ली है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में वर्तमान में उत्पादित की जाने वाली जल विद्युत की मात्रा कितनी है;

(घ) विभिन्न कारणों से रुकी पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और अब तक इन पर कितना व्यय किया जा चुका है; और

(ङ) क्या इन परियोजनाओं में विलंब के कारण हुई हानि का सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"जल विद्युत उत्पादन क्षमता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : दिनांक 30.6.2017 तक की स्थिति के अनुसार, देश की वर्तमान कुल संस्थापित जल विद्युत उत्पादन क्षमता 44614.42 मेगावाट है।

(ख) : वर्ष 1987 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा पूरे किए गए पुनः मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर, देश में अभिज्ञात जल विद्युत उत्पादन क्षमता का अनुमान 148701 मेगावाट (25 मेगावाट क्षमता से अधिक की जल विद्युत स्कीमों से 145320 मेगावाट) की संभावित संस्थापित क्षमता सहित 60% भार घटक पर लगभग 84000 मेगावाट लगाया गया था। फरवरी, 2017 में, मैसर्स वेपकोस लिमिटेड को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता की बेसिनवार समीक्षा का कार्य सौंपा गया है।

(ग) : वर्ष 2017-18 के दौरान (दिनांक 30.6.2017 तक), देश के विभिन्न राज्यों में 25 मेगावाट और उससे अधिक की परियोजनाओं से 36243.56 मिलियन यूनिट जल विद्युत का उत्पादन किया गया है।

(घ) : इस समय, देश में 11792.50 मेगावाट की कुल 41 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, कुल 5055 मेगावाट की क्षमता वाली 14 जल विद्युत परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, अन्तर्राज्यीय मुद्दों, वित्तीय अवरोधों, कानून एवं व्यवस्था/स्थानीय मुद्दों, ठेके संबंधी मामलों, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं, पर्यावरण एवं वन संबंधी मुद्दों, प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसे विभिन्न अवरोधों के कारण रुकी हुई हैं। उपरोक्त रुकी हुई परियोजनाओं पर 20770 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

(ड) : सीईए द्वारा की गई गणना के अनुसार, इन रुकी हुई परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन की वार्षिक हानि लगभग 19180.99 मिलियन यूनिट है। इन रुकी हुई परियोजनाओं के कारण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा गणना की गई बढ़ी हुई लागत 25593.78 करोड़ रुपए है। लागत आधिक्य का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

"जल विद्युत उत्पादन क्षमता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 76 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ड) में उल्लिखित अनुबंध।

लागत आधिक्य वाली रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का राज्य-वार ब्यौरा

30.06.2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम(आई.सी.)/निष्पादन एजेंसी	राज्य का नाम	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)
	केंद्रीय क्षेत्र				
1	लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट), एनटीपीसी	उत्तराखंड	1527.00 (12/06)	1801.07 (12/13)	274.07
2	सुबानसिरी लोअर (8x250 = 2000 मेगावाट), एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश	6285.33 (12/02)	17435.15 (02/16)	11149.82
	राज्य क्षेत्र				
3	शाहपुरकंडी (3x33+3x33+1x8=206 मेगावाट) सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	पंजाब	2285.81 (04/08)	2285.81 (04/08)	-
4	थोटियार (1x30+1x10)= 40 मेगावाट, केएसईबी	केरल	136.79 (2007)	150.02 (2007)	13.23
5	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस (2x40 = 80 मेगावाट), डब्ल्यूआरडी, महा.	महाराष्ट्र	245.02 (1999)	1494.94 (2014)	1249.92
	निजी क्षेत्र				
6	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट), एसएमएचपीसीएल	मध्य प्रदेश	1569.27 (96-97)	6793.00	5223.73
7	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) लैंको एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	3283.08 (2008)	7542.00 (12/16)	4258.92
8	रंगित-IV एचई परियोजना (3x40 = 120 मेगावाट), जेपीसीएल	सिक्किम	726.17 (09/07)	1692.60 (06/16)	966.43
9	पनन (4x75= 300 मेगावाट) हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	सिक्किम	1833.05 (2009)	2400.00 (09/16)	566.95
10	रत्ले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट रत्ले एचईपी प्रा. लि.	जम्मू व कश्मीर	5517.02 (03/12)	6257.00 (09/2013)	739.98
11	टंगनु रोमई-I (2x22 = 44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल	हिमाचल प्रदेश	255.00 (2006)	562.97 (01/17)	307.97
12	टिडोंग-I (2x50 =100 मेगावाट), एनएसएल टिडोंग	हिमाचल प्रदेश	543.15 (08/05)	1286.27 (01/17)	743.12
13	सोरांग (2x50 = 100 मेगावाट), एचएसपीपीएल	हिमाचल प्रदेश	586.00 (2006)	586.00 (संशोधनाधीन)	-
14	गोंगरी (2x72= 144 मेगावाट) दिरांग एनर्जी (पी) लि.	अरुणाचल प्रदेश	1436.27 (05/12)	1535.91 (10/16)	99.64
					25593.78

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-697

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

असम में गांवों का विद्युतीकरण

697. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 2014 के पश्चात् असम को जारी की गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) राज्य में अब तक इस योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किए घरों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) राज्य में विशेषतः कोकराझार क्षेत्र में अब तक विद्युतीकृत गांवों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक (30 जून, 2017 तक) असम राज्य को 969.27 करोड़ की राशि जारी की गई है।

(ख) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत देश में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराई जाती है और सभी पात्र बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 30.6.2017 की स्थिति के अनुसार असम राज्य में 12.10 लाख बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(ग) : असम सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 30.6.2017 की स्थिति के अनुसार, राज्य में डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत 10,623 गांव (राज्य योजना के अंतर्गत 122 गैर-विद्युतीकृत गांवों सहित) विद्युतीकृत किए गए हैं। इसमें कोकराझार जिले के 451 गांव सम्मिलित हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-702

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में हरित विद्युत कॉरिडोर

702. श्री पी. आर. सेनथिलनाथन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित कितनी विद्युत परियोजनाएं हैं और तमिलनाडु में इन प्रत्येक विद्युत स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार की तमिलनाडु में हरित विद्युत कॉरिडोर बनाने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 30.6.2017 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु में स्थित केंद्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :-

श्रेणी	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
ताप विद्युत	नैवेली (एक्सटें.) टीपीएस	420
	नैवेली टीपीएस-I	600
	नैवेली टीपीएस-II	1470
	नैवेली टीपीएस-II एक्पें.	500
	तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	1000
	वैल्लूर टीपीपी	1500
	थर्मल कुल	5490
नाभिकीय	कुडनकुलम	2000

	मद्रास ए.पी.एस	440
	नाभिकीय कुल	2440
	कुल	7930

(ख) से (घ) : जी, हाँ। बड़े पैमाने पर नवीकरणीय उत्पादन क्षमता संवर्धन के समेकन को सुकर बनाने के लिए तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के लिए "हरित ऊर्जा कॉरीडोर" के भाग के रूप में एक वृहत पारेषण योजना जिसमें अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य पारेषण प्रणाली सम्मिलित हैं, अभिचिन्हित की गई है।

पावरग्रिड द्वारा तमिलनाडु में पारेषण तत्व सहित अंतर राज्य पारेषण स्कीम विकसित की जा रही हैं। तमिलनाडु में अंतर राज्यीय पारेषण में तुतीकोरिन पुलिंग स्टेशन तक 400 केवी, 2xडी/सी (क्वाड) लाइन के साथ 2 x500 एमवीए 400/230 केवी तिरुनेलवेली पुलिंग स्टेशन की स्थापना शामिल है। यह पहले ही कार्यान्वयनाधीन है।

राज्य पारेषण यूटिलिटी अर्थात तमिलनाडु ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (टेंट्रांसको) द्वारा तमिलनाडु में अंतरा राज्य पारेषण स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसमें थेनामपट्टी में 400/230-110 केवी एआईएस सब-स्टेशन की स्थापना; सेमबट्टी अनुपनकुल्लम, कुड्डालोर, पुडुकोटाई, तिरुवन्नामलाई एवं विलुपुरम में विद्यमान जीएसएस का संवर्धन; थेनामपट्टी, कयाथार एवं रासीपलायाम एवं सिंगरापेट (पालावडी) से जुडी 400 केवी पारेषण लाइनों का निर्माण और छः 230 केवी पारेषण लाइनों का निर्माण शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-704

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

अंतर्राज्य आपूर्ति प्रभार

704. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने और ताप विद्युत कि साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस पर लगने वाले अंतर्राज्य आपूर्ति प्रभार को माफ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14 जून, 2017 के आदेश के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं को चालू करने की तिथि से 25 वर्षों की अवधि के लिए 31.12.2019 तक चालू की गई, ऐसी परियोजनाओं द्वारा अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) नेटवर्क के उपयोग के लिए सौर संसाधनों पर आधारित उत्पादन परियोजना के लिए अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों की छूट दे दी है।

ऐसी छूट केवल उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) का अनुपालन करने के लिए डिस्कार्मों के साथ पीपीए किया हुआ है और जो प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अवार्ड की गई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-711

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है।

दामोदर घाटी निगम

711. श्री रवीन्द्र कुमार राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) का मुख्यालय झारखण्ड स्थानांतरित करने का है क्योंकि इसके अधिकांश क्षेत्र झारखंड में आते हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) डीवीसी का मुख्यालय कोलकाता में ही रखने के लाभों और हानियों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने कभी भी इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) भारत की पहली बड़ी बहुउद्देशीय एकीकृत नदी घाटी परियोजना है, जो केन्द्रीय विधानमण्डल अधिनियम (1948 की अधिनियम सं. XIV) के द्वारा 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी। डीवीसी की परिकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनिसी वैली प्राधिकरण (टीवीए) की तर्ज पर की गई थी। दामोदर घाटी निगम ने अपने 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

डीवीसी के केन्द्रीय क्रियाकलापों में कारपोरेट स्तर पर प्रशासन, इंजनियरिंग एवं प्लानिंग, निगरानी तथा विभागीय नियन्त्रण से संबंधित कार्य कोलकाता में स्थित डीवीसी कारपोरेट कार्य के मुख्यालयों में किए जाते हैं। वैद्युतीय ऊर्जा का उत्पादन तथा वितरण हेतु प्रचालनात्मक मुख्यालय मैथान में है जो झारखण्ड राज्य में स्थित है। मैथान के प्रचालनात्मक मुख्यालयों में उत्पादन, पारेषण तथा वितरण, परियोजना निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई, सामाजिक समेकन कार्यक्रम, मतस्य पालन विकास इत्यादि पर नियंत्रण रखने के वास्ते क्षेत्र का आधार है। इसके अतिरिक्त, झारखण्ड राज्य के हजारीबाग में मृदा संरक्षण विभाग, वृक्षारोपण तथा पुनर्वास एवं भूमि अधिग्रहण निदेशालय भी स्थित हैं। कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रचालन केन्द्रों से विभिन्न कार्य किए गए हैं, जिन्हें सुविधाजनक तथा तर्कसंगत माना गया था।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-717

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

कम विद्युत उत्पादन

717. श्री अनंतकुमार हेगड़े:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत विद्युत निर्माण परियोजनाएं अपनी उत्पादन क्षमता से कम विद्युत उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम विद्युत उत्पादन के कारण कितनी परियोजनाएं अर्थक्षम नहीं रह गई हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचालनरत विद्युत उत्पादन परियोजनाएं निगरानी की गई विद्युत उत्पादन क्षमता में अपने हिस्से के अनुसार विद्युत का उत्पादन कर रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन और निगरानी की गई क्षमता अनुबंध में दी गई है।

(ग) : संयंत्र जो दक्ष हैं, का उपयोग अन्य संयंत्रों की अपेक्षा अधिक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दीर्घावधि विद्युत क्रय करार वाले संयंत्रों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि निर्धारित प्रभार अपेक्षित उपलब्धता के आधार पर स्वीकार्य होंगे।

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 717 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सार्वजनिक क्षेत्र में % क्षमता और उत्पादन

क्षेत्र	2016-17				2015-16				2014-15			
	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार क्षमता का %	उत्पादन (एमयू) 2016-17	2016-17 के दौरान उत्पादन का %	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार क्षमता का %	उत्पादन (एमयू) 2015-16	2015-16 के दौरान उत्पादन का %	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार क्षमता का %	उत्पादन (एमयू) 2014-15	2014-15 के दौरान उत्पादन का %
सार्वजनिक क्षेत्र	182513.63	67.92	784681.9	67.64	176187.12	67.92	754337.92	68.09	165460.64	70.20	761913.1	72.65

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-729

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण हानियां

729. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन, वितरण, बिक्री तथा विद्युत हानि का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) सरकार द्वारा विद्युत पारेषण तथा वितरण के दौरान हानियों को कम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/योजनाएं बनाई गई हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत तीन वर्षों के लिए देश में विद्युत का समग्र उत्पादन (ग्रिड से सम्बद्ध नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन सहित) नीचे दिया गया है :

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
उत्पादन (बीयू)	1173.458 बीयू	1173.603 बीयू	1242.010 बीयू

पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा प्रकाशित "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के कार्यनिष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार, उन यूटिलिटियों के लिए, जो वर्ष 2012-13 से 2014-15 में उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बेची गई निवल ऊर्जा (मिलियन यूनिट) तथा कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों (%) की मात्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15
निवल इनपुट ऊर्जा (एमयू)	7,94,834	8,31,989	9,10,285
बेची गई निवल ऊर्जा	6,27,699	6,60,244	7,22,125

ए टी एण्ड सी हानियां (%)	25.48	22.58	24.62
-----------------------------	-------	-------	-------

(ख) : विद्युत के पारेषण में सुधार लाने के लिए, पावरग्रिड को अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) का विकास करने के लिए अधिदेशित किया गया है, जिसमें 400 केवी/765केवीएसी का अतिरिक्त हाई वोल्टेज नेटवर्क तथा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) नेटवर्क शामिल है। पारेषण नेटवर्क में हानियों को कम करने के लिए उच्च क्षमता पारेषण कॉरीडोरों को आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे गैस इंस्वूलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सब स्टेशनों, फ्लैकसिबल आल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम (एफएसीटीएस) उपकरणों, ±800 केवी एचवीडीसी इत्यादि से जोड़ते हुए विकसित किया गया है।

वितरण हानियों को कम करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः वितरण यूटिलिटियों तथा विद्युत विभागों/यूटिलिटियों का होता है। भारत सरकार ने ए टी एण्ड सी हानियों को कम करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) तथा उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसे एवं ग्रामीण फीडर ऊर्जा संबंधी आकड़ों को आनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने पर भी जोर दिया है, ताकि हानि वाले क्षेत्रों को आसानी से चिन्हित किया जा सके।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-743

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

743. श्री राजेश पाण्डेय:

श्री निशिकान्त दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वास्तव में राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश और झारखंड में कितने गांवों में विद्युतीकरण किया गया;

(ख) क्या ऐसे गांवों की संख्या/बस्तियों की संख्या को सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां लक्ष्य निर्धारित करने हेतु विद्युतीकरण का कार्य अभी किया जाना बाकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर पूरे देश में 6015 जनगणना गांव विद्युतीकृत किए गए थे। पिछले वर्ष के दौरान, उत्तर प्रदेश और झारखण्ड सहित देश में विद्युतीकृत गांवों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : दिनांक 30.6.2017 की स्थिति के अनुसार, राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, देश में 3618 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव हैं।

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 743 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2016-17 के दौरान विद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	2016-17
1	अरुणाचल प्रदेश	175
2	असम	1,218
3	बिहार	556
4	छत्तीसगढ़	294
5	हिमाचल प्रदेश	27
6	जम्मू व कश्मीर	5
7	झारखंड	1,104
8	कर्नाटक	14
9	मध्य प्रदेश	159
10	मणिपुर	121
11	मेघालय	681
12	मिजोरम	24
13	नागालैंड	76
14	ओडिशा	1,092
15	राजस्थान	263
16	त्रिपुरा	17
17	उत्तर प्रदेश	162
18	उत्तराखंड	18
19	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	6,015

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-767

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है।

एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना

767. डॉ. किरीट सोमैया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना पर विचार किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मुंबई सहित कई महानगरों में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना शुरू कर दी गई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं स्थिति क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त परियोजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी, हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जनवरी, 2015 को पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को मार्च, 2019 तक स्मार्ट एवं ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल कार्यक्रम (एसएलएनपी) की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जा रहा है। एसएलएनपी सतत व्यावसायिक मॉडल पर आधारित है, जहाँ दक्ष प्रकाश व्यवस्था की लागत बिजली के बिल की बचतों के माध्यम से एक समय अवधि में ऊर्जा और अनुरक्षण व्यय में बचतों से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा पुनः भुगतान किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, समस्त अप्रॉफिट निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है। ईईएसएल देशभर में एलईडी स्ट्रीट लाइटों की कुल माँग को समेकित करके पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एलईडी स्ट्रीट लाइटों की खरीद करता है। पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एलईडी लाइटों की थोक खरीद से खुदरा बाजार की तुलना में अपेक्षाकृत कम दरों पर यूएलबी में एलईडी लाइटें लगाने के लिए ईईएसएल को सक्षम बनाता है।

17 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार, पच्चीस (25) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 27.33 लाख स्मार्ट एवं ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।

(ग) से (ङ): स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) का कार्यान्वयन साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (एसडीएमसी) में किया गया है और 17 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार, लगभग 2.77 लाख परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों द्वारा बदला गया है। मुंबई के संबंध में, ईईएसएल ने मेरीन ड्राइव पर पायलट परियोजना का कार्यान्वयन किया है, जहाँ 659 परम्परागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदला गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-792

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

यूडीएवाई

792. डॉ. के. गोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अधिकांश राज्य यूडीएवाई स्कीम में शामिल हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या 4 ट्रिलियन से भी अधिक के देश के सरकारी विद्युत वितरण क्षेत्र के 92% से भी अधिक भाग को यूडीएवाई द्वारा कवर किया गया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। अब तक छब्बीस (26) राज्यों तथा एक (01) संघ राज्य क्षेत्र नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पुडुचेरी अपने डिस्कॉमों की वित्तीय तथा प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल हो चुके हैं।

(ख) और (ग) : 31.3.2015 की मौजूदा स्थिति के अनुसार, राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण यूटिलिटियों के 375430.00 करोड़ रुपए के ऋण में से उदय राज्यों पर 362231.00 करोड़ रुपए का ऋण है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-804

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

एलईडी का वितरण

804. श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

श्री कौशल किशोर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) एलईडी आधारित घरों और स्ट्रीट लाइटों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किए गए एलईडी बल्बों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इन पर कितनी राशि खर्च की गई है;
- (ख) क्या सरकार ने 100 शहरों में घरेलू और स्ट्रीट लाइटों के लिए एलईडी बल्ब लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) गत दो वर्षों में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के कारण अनुमानित ऊर्जा बचत और ग्रीनहाउस गैसों में आई कमी कितनी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 12 जुलाई, 2017 तक सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एलईडी बल्बों का वितरण अनुबंध में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र आपूर्तिकर्ताओं ने देश में कम कीमतों और व्यापक मांग पर बड़ी मात्रा में विक्रय भी किया है।

उजाला और एसएलएनपी स्वैच्छिक प्रकृति के हैं और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पर आधारित हैं, जहां दक्ष लाइटिंग की लागत ऊर्जा में बचतों से उपभोक्ताओं/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा और एक समयावधि बाद रख-रखाव व्यय विद्युत बिल में बचत के माध्यम से पुनः भुगतान किया जाता है। समग्र अग्रिम निवेश विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जाता है। इसके लिए ईईएसएल देशभर में मांग को समेकित करके एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एलईडी बल्बों और एलईडी स्ट्रीट लाइटों

की खरीद करता है। एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एलईडी बल्बों और एलईडी स्ट्रीट लाइटों की थोक खरीद ईईएसएल को उपभोक्ताओं को खुदरा बाजार की तुलना में कम दरों पर एलईडी बल्ब वितरित करने और यूएलबी में एलईडी लाइटें लगाने के लिए सक्षम बनाती है।

(ख) : जी हाँ। 31 मार्च, 2017 के अनुसार, घरेलू एलईडी कार्यक्रम उजाला और एसएलएनपी के अंतर्गत क्रमशः 437 शहरों और 544 शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किए गए हैं जो 100 शहरों को शामिल करने के लक्ष्य से अधिक हैं।

(ग) : उजाला के अंतर्गत, एलईडी बल्बों के वितरण और ईईएसएल द्वारा एसएलएनपी के अंतर्गत एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने के कारण अनुमानित वार्षिक ऊर्जा बचत और ग्रीन हाउस गैसों में अनुमानित कमी क्रमशः 34.29 बिलियन यूनिट और 27.56 मिलियन टन कार्बन डाईआक्साइड प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एलईडी बल्बों की बड़ी मात्रा में बिक्री के कारण ऊर्जा बचत और ग्रीन हाउस गैसों में कमी आई है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 804 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

12 जुलाई, 2017 तक, उजाला के अंतर्गत एलईडी और एसएलएनपी के अंतर्गत एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उजाला के अंतर्गत वितरित किए एलईडी बल्बों की संख्या	एसएलएनपी के अंतर्गत संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या
1	अंडमान निकोबार	4,00,000	----
2	आंध्र प्रदेश	2,16,76,533	6,04,808
3	असम	14,37,000	10,117
4	बिहार	1,38,32,179	2,596
5	चंडीगढ़	2,30,120	----
6	छत्तीसगढ़	81,36,274	39,670
7	दादरा व नागर हवेली	1,35,667	----
8	दमन व दीव	1,35,924	----
9	दिल्ली	1,15,43,977	2,77,919
10	गोवा	8,20,333	1,50,321
11	गुजरात	3,56,73,872	4,40,263
12	हरियाणा	1,23,91,342	549
13	हिमाचल प्रदेश	76,24,432	48,854
14	जम्मू व कश्मीर	76,63,760	5,410
15	झारखंड	1,01,30,427	10,876
16	कर्नाटक	1,63,67,983	139
17	केरल	1,01,19,390	9,739
18	लक्षद्वीप	1,00,000	----
19	मध्य प्रदेश	1,38,59,470	9,938
20	महाराष्ट्र	2,12,92,816	35,179
21	मणिपुर	17,473	----
22	मेघालय	2,39,981	----
23	मिजोरम	5,09,966	----
24	नागालैंड	4,09,769	----
25	ओडिशा	1,06,20,833	2,630
26	पुडुचेरी	6,09,251	300
27	पंजाब	1,03,383	3,882
28	राजस्थान	1,34,87,276	7,69,660
29	सिक्किम	1,05,148	----
30	तमिलनाडु	4,24,651	700
31	तेलंगाना	13,08,919	1,35,405
32	त्रिपुरा	5,71,570	49,807
33	उत्तर प्रदेश	1,93,04,283	80,416
34	उत्तराखंड	38,26,370	500
35	पश्चिम बंगाल	50,27,084	997
कुल		25,01,37,456	26,90,675

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-812

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण

812. श्री रामेश्वर तेली:

श्री पशुपतिनाथ सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से अनेक परियोजनाओं को पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं के पूरा नहीं होने के कारण गंभीर वित्तीय हानि हुई है; और

(ङ) सम्पूर्ण देश में जल-विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): 30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 11,792.50 मेगावाट की 41 जलविद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में संलग्न है।

(ख) से (घ) : उपर्युक्त सभी जल विद्युत परियोजनाओं में विभिन्न कारणों जैसे - भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, पर्यावरण एवं वन मामले, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आरण्डआर) मामले, प्राकृतिक आपदाएं, कानून एवं व्यवस्था समस्या, स्थानीय मामले, संविदात्मक समस्याएं, भू-वैज्ञानिक अनिश्चिताएं, दुर्गम भू-भाग और कमजोर पहुंच, निधि संबंधी अवरोधों एवं अन्तर-राज्यीय मामलों के कारण विलम्ब हुआ है। इस कारण इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। परियोजनाओं का समय पर पूरा नहीं

होना, कीमतों में सामान्य वृद्धि तथा निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) में वृद्धि के कारण है। कीमत में वृद्धि और विलंब के कारणों सहित इन परियोजनाओं के राज्य-वार, परियोजनावार ब्यौरा अनुबंध-II में संलग्न है।

(ड) : इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) नियमित स्थल दौरों एवं विकासकर्ता और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। सीईए परियोजनाओं को चालू करने के लिए जटिल मुद्दों की पहचान उनके समाधान के लिए विकासकर्ताओं तथा स्टैकहोल्डरों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है।
- अवरोध वाले क्षेत्रों की पहचान तथा अन्तर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों का तीव्रता से समाधान करने के लिए संबंधी विद्युत मंत्रालय (एमओपी) में नियमित समीक्षाएं भी की जाती है।
- जल विद्युत परियोजनाओं का स्वतंत्र रूप से अनुवर्तन तथा प्रगति की निगरानी करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) की स्थापना की गई है।
- सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में, परियोजना कार्यान्वयन पैरामीटरों/लक्ष्यों को सार्वजनिक उपक्रमों तथा विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाता है। और इसकी निगरानी सार्वजनिक उपक्रमों की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों (क्यूपीआर) और विद्युत मंत्रालय/सीईए में आयोजित अन्य बैठकों में की जाती है।
- इलैक्ट्रो-मैकेनिकल उपकरणों के निर्माण एवं आपूर्ति से संबंधित मुद्दे सीईए/विद्युत मंत्रालय की विभिन्न बैठकों में शीघ्रता से निपटाए जाते हैं और प्रगति को प्रभावित करने वाले अन्य स्थानीय मुद्दों को संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों /विद्युत मंत्रालय के द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाए जाते हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 812 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	आई.सी. (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)
	आंध्र प्रदेश			
1	पोलावरम (पीपीए)	राज्य	12x80	960.00
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश			960.00
	अरुणाचल प्रदेश			
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00
3	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2x55	110.00
4	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00
5	गोंगरी (दिरांग एनर्जी)	निजी	2x72	144.00
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश			2854.00
	हिमाचल प्रदेश			
6	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00
7	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00
8	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00
9	सैंज (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x50	100.00
10	शौंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00
11	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00
12	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00
13	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00
14	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	निजी	100.00	100.00
15	चंजू-I (आईए एनर्जी)	निजी	3x12	12.00
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश			1997.00
	जम्मू व कश्मीर			
16	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x110	330.00
17	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	3x12.5	37.50
18	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	2x24	48.00
19	रत्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00
	उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर			1265.50
	केरल			
20	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00
21	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00
	उप-जोड़: केरल			100.00

	मध्य प्रदेश			
22	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश			400.00
	महाराष्ट्र			
23	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	2x40	80.00
	उप-जोड़: महाराष्ट्र			80.00
	मिजोरम			
24	तुरियल (नीपको)	केंद्रीय	2x30	60.00
	उप-जोड़: मिजोरम			60.00
	पंजाब			
25	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00
	उप-जोड़: पंजाब			206.00
	सिक्किम			
26	भास्मे (गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00
27	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00
28	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00
29	रोंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00
30	ताशिडिंग (शीघा एनर्जी)	निजी	2x48.5	97.00
31	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	निजी	4x125	500.00
32	पनन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00
	उप-जोड़: सिक्किम			1230.00
	तेलंगाना			
33	पुलीचिंताला (टीएसजैको)	राज्य	4x30	90.00
	उप-जोड़: तेलंगाना			90.00
	उत्तराखंड			
34	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00
35	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00
36	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00
37	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00
38	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	2x60	120.00
39	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	2x38	76.00
40	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	3x33	99.00
	उप-जोड़: उत्तराखंड			2430.00
	पश्चिम बंगाल			
41	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			120.00
	कुल:			11792.50

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 812 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

समय आधिक्य/लागत आधिक्य वाली निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

30.06.2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./निष्पादनाधीन एजेंसी	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश									
1	पोलावरम (12x80 = 960 मेगावाट) पीपीए	राज्य	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	4956.39 (2016-17 पीएल) (विद्युत घटक)	4956.39 (2016-17 पीएल) (विद्युत घटक)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ वित्तीय समस्याएं। ➤ इंजिनियरिंग कार्यों को अभी अवाई किया जाना है।
अरुणाचल प्रदेश									
2	कामेंग (4x150 = 600 मेगावाट) नीपको	केंद्रीय	1 2 3 4	150 150 150 150	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 (दिसंबर, 09)	2496.90 (03/04)	6179.96	3683.06	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बांध पैरामीटरों में परिवर्तन। ➤ खराब भूविज्ञान, अत्यधिक रिसाव, अपर्याप्त मशीनरी के कारण बांध एवं एचआरटी में धीमी प्रगति। ➤ अक्टूबर, 2008 और सितंबर, 2012 में अचानक बाढ़। ➤ एचआरटी में जल का प्रवेश। ➤ खराब पहुंच सड़क। ➤ संविदात्मक मामले। ➤ मिलावे की कमी। ➤ राज्य सरकार से खदान के लिए स्वीकृति। ➤ कार्य की धीमी प्रगति।
3	पारे (2x55 = 110 मेगावाट) नीपको	केंद्रीय	1 2	55 55	2012-13 2012-13 (अगस्त, 12)	573.99 (06/07)	1339.57 (01/16)	765.58	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कानून-व्यवस्था की समस्या। ➤ कमजोर भूविज्ञान। ➤ खराब पहुंच सड़क। ➤ जून-सितंबर, 2015 के दौरान अचानक बाढ़। बांध क्षेत्र में

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
									पानी भर गया, बांध का कंक्रिटिंग कार्य 04 महीने तक बाधित रहा।
4	सुबानसिरी लोअर (8x250 = 2000 मेगावाट) एनएचपीसी	केंद्रीय	1 2 3 4 5 6 7 8	250 250 250 250 250 250 250 250	2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11	6285.33 (12/02)	17435.15 (02/16)	11149.82	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वनभूमि के हस्तांतरण में विलंब। ➤ अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा। ➤ जनवरी, 2008 में पावर हाउस में स्लोप विफलता। ➤ रंगानदी नदी पर पुल को क्षति। ➤ सर्ज शॉफ्ट्स से सर्ज टनल्स के डिजाइन में परिवर्तन। ➤ असम में, परियोजना के निर्माण के विरोध में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रारंभ आंदोलन के कारण कार्यबंदी। दिनांक 16.12.2011 से कार्य रुका। ➤ डी/एस प्रभाव अध्ययनों का मामला। ➤ एनजीटी में मामला।
5	गोंगरी 2x72= 144 मेगावाट दिरांग एनर्जी (पी) लि.	निजी	1 2	72 72	2017-18 2017-18	1436.27 (05/12)	1535.91 (10/16)	99.64	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्य दिनांक 22.11.2011 को अवाई किया गया। तथापि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति दिनांक 19.05.2014 को जारी हुई। ➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय समस्याएं।
हिमाचल प्रदेश									
6	पारबती-II (4x200 = 800 मेगावाट) एनएचपीसी	केंद्रीय	1 2 3 4	200 200 200 200	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 (सितंबर, 09)	3919.59 (12/01)	8398.75 (03/15)	4479.16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने स्टोन क्रशर प्रचालन पर रोक लगाई। ➤ संशोधित वन स्वीकृति में विलंब। ➤ नवंबर, 2006 में टीबीएम फेस में पानी और कीचड़ के भारी मात्रा में प्रवेश करने के कारण टीबीएम को अत्यधिक क्षति हुई। ➤ अप्रैल, 04, जून, 06 और फरवरी, 07 में पावर हाउस क्षेत्र में स्खलन। ➤ 2004, 2005, 2010 और 2011 में अचानक बाढ़। ➤ केविटी ट्रीटमेंट के कारण जीवा

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
									नाला कार्य प्रभावित हुआ। <ul style="list-style-type: none"> ➤ संविदा संबंधी मामले ➤ एचआरटी में कमजोर भू-विज्ञान।
7	उहल-III (3x33.33 = 100 मेगावाट) बीवीपीसीएल	राज्य	1 2 3	33.33 33.33 33.33	2006-07 2006-07 2006-07	431.56 (09/02)	940.84 (03/08)	509.28	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वनभूमि के हस्तांतरण में विलंब। ➤ निजी भूमि के अधिग्रहण में विलंब। ➤ खदान स्थलों के स्थानांतरण में विलंब। ➤ कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ संविदाकार द्वारा धीमी प्रगति और कार्य न करने के कारण अप्रैल, 2008 और जुलाई, 2010 के दौरान एचआरटी निर्माण के लिए संविदा दो बार रद्द की गई। ➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति।
8	स्वारा कुड्डू (3x37 = 111 मेगावाट) एचपीपीसीएल	राज्य	1 2 3	37 37 37	2010-11 2010-11 2010-11	558.53 (03/03)	1181.90 (03/12)	623.37	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एमओईएफ स्वीकृति में विलंब। ➤ सिविल एवं ईएंडएम कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ एचआरटी लाइनिंग की धीमी प्रगति। ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ एचआरटी पैकेज के लिए संविदा 09.01.2014 को समाप्त की गई। मैसर्स एचसीसी को नवंबर, 2014 में पुनः अवाई की गई।
9	सेंज (2x50 = 100 मेगावाट) एचपीपीसीएल	राज्य	1 2	50 50	2014-15 2014-15	784.56	संशोधनाधीन	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एचआरटी और बैराज कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ स्थानीय मुद्दे। ➤ संविदाकार के साथ नकद प्रवाह की समस्या ➤ संविदा संबंधी मामले।
10	शौगटोंग करछम (3x150 = 450 मेगावाट) एचपीपीसीएल 16.08.2012	राज्य	1 2 3	150 150 150	2017-18 2017-18 2017-18	2807.83	3316.35	508.52	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आर्मी एम्प्लूनिशन डिपो का स्थानांतरण। ➤ स्थानीय मुद्दे।
11	बजोली होली	निजी	1	60	2017-18				<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों की धीमी प्रगति।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
	3x60= 180 मेगावाट मैसर्स जीएमआर बजोली होली		2 3	60 60	2017-18 2017-18	1696.93	2205.00	508.07	
12	सोरंग (2x50 = 100 मेगावाट), एचएसपीपीएल	निजी	1 2	50 50	2012-13 2012-13	586.00 (2006)	586.00 (संशोधनाधीन)	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ खराब भौगोलिक स्थिति। ➤ कठिन क्षेत्र। ➤ मौसमी स्थिति और पहुंच। ➤ वाटर कंडक्टर सिस्टम के भराव के दौरान पेनस्टॉक क्रैक्स/लीकेज। ➤ ट्रायल रन के दौरान नव.-15 में पेनस्टॉक सरफेस में दरार।
13	टंगनु रोमई-1 (2x22 = 44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल	निजी	1 2	22 22	2014-15 2014-15	255.00 (2006)	562.97 (01/17)	307.97	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ खराब भौगोलिक परिस्थिति। ➤ कठिन क्षेत्र। ➤ जलवायु परिस्थितियां एवं पहुंच। ➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय समस्याएं।
14	टिडोंग-1 2x50 =100 मेगावाट एनएसएल टिडोंग	निजी	1 2	50 50	2013-14 2013-14	543.15 (08/05)	1286.27 (01/17)	743.12	<ul style="list-style-type: none"> ➤ परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा एनओसी में विलंब। ➤ सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों को लंबित करना। ➤ विकासकर्ता के साथ निधि की समस्या
15	चंजू-1 3x12=36 मेगावाट आईए एनर्जी	निजी	1 2 3	12 12 12	2014-15 2014-15 2014-15	295.09	295.09	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ खराब भौगोलिक स्थिति।
जम्मू व कश्मीर									
16	किशनगंगा (3x110 = 330 मेगावाट) एनएचपीसी	केंद्रीय	1 2 3	110 110 110	2014-15 2014-15 2014-15 (जुलाई, 14)	2238.67 (11/05)	5783.17 (09/15)	3544.50	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एल-1 मूल्य बोली लागत अनुमान से ज्यादा थी, अतः आरसीई का अनुमोदन। आरसीई जन.-2009 में अनुमोदित हुआ। ➤ मार्च, 2011 में भारी बारिश। ➤ एचआरटी-टीबीएम भाग में केविटी। ➤ एक्सेस टनल में खराब भूविज्ञान। ➤ अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थता कार्यवाहियों के कारण बांध कार्य प्रभावित हुआ। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा एनएचपीसी में रोजगार की

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
									<p>मांग।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ आरएंडआर मामले। ➤ विद्युत निकासी प्रबंध को पूर्ण करना (पीजीसीआईएल) ➤ कश्मीर घाटी में अशांति के कारण 09.07.2016 से विद्युत गृह क्षेत्र में कार्य का रुकना। जनवरी, 2017 में आंशिक कार्य पूरा किया गया।
17	परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	राज्य	1 2 3	12.5 12.5 12.5	2018-19 2018-19 2018-19	640.41	640.41	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्य की धीमी प्रगति। ➤ भूमि अधिग्रहण में विलंब।
18	लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	राज्य	1 2	24 24	2017-18 2017-18	576.87 (12/12)	576.87 (12/12)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संविदाकार द्वारा अपर्याप्त जनशक्ति एवं मशीनरी जुटाना ➤ आरएंडआर योजना को अंतिम रूप देने में विलंब। ➤ कार्य की धीमी प्रगति। ➤ संविदा के साथ निधि संबंधी समस्याएं। सीडीआर के अंतर्गत संविदाकार
19	रत्ले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट रत्ले एचईपी प्रा. लि.	निजी	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	5517.02 (03/12)	6257.00 (09/2013)	739.98	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ बार-बार स्थानीय बाधा के कारण कार्य दिनांक 11.7.14 से लंबित रहा। ➤ विकासकर्ता परियोजना को राज्य सरकार को सरेंडर करना चाहता है।
केरल									
20	पल्लीवसल 2x30 = 60 मेगावाट केएसईबी	राज्य	1 2	30 30	2010-11 2010-11	222.00 (1999)	284.69 (2007)	62.69	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ भूमि अधिग्रहण में विलंब। ➤ एचआरटी तक एडिट के संरेखण में परिवर्तन। ➤ एचआरटी में खराब भू-वैज्ञानिक स्ट्राटा। ➤ भारी मानसून। ➤ संविदा संबंधी मामलों के कारण संविदाकार द्वारा 28.01.2015 से कार्य रोक दिया गया।
21	थोटियार (1x30+1x10)= 40 मेगावाट केएसईबी	राज्य	1 2	30 10	2012-13 2012-13	136.79 (2007)	150.02 (2007)	13.23	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भूमि अधिग्रहण मुद्दे। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा वर्ष 2010 से 2012 तक वेयर और अप्रोच चैनल के कार्य रोक दिए गए। ➤ न्यायालय द्वारा दिनांक

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
									12.12.2012 से अप्रैल, 2013 तक कार्य रोक दिया गया। <ul style="list-style-type: none"> ➤ संविदा संबंधी मामले। ➤ संविदाकार के साथ वित्तीय कठिनाई।
मध्य प्रदेश									
22	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	निजी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02	1569.27 (96-97)	6793.00	5223.73	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आरएंडआर मुद्दे। ➤ विकासकर्ता के साथ नकद प्रवाह की समस्या।
महाराष्ट्र									
23	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र	राज्य	1 2	40	2017-18	245.02 (1999)	1494.94 (2014)	1249.92	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों की धीमी प्रगति। ➤ परियोजना लागत बढ़ने के कारण वित्तीय समस्याएं। आरसीई अनुमोदनाधीन।
मिजोरम									
24	तुरियल (2x30 = 60 मेगावाट) नीपको	केंद्रीय	1 2	30 30	2006-07 2006-07 (जुलाई, 06) (जनवरी, 14) आरसीई-1	368.72 (06/97)	1329.43 (12/14)	960.71	<ul style="list-style-type: none"> ➤ विगत में स्थानीय विरोध के कारण लगभग सात वर्ष (जून, 2004 से जन.-2011) कार्य लंबित रहा। परिणामस्वरूप संशोधित अनुमोदन (आरसीई-1) जन.-2011 में दिया गया। ➤ खराब पहुंच सड़क। ➤ पावर हाउस में स्लोप का विफल होना। ➤ ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त जुटाव। ➤ ईएंडएम कार्यों के लिए इरेक्शन ठेकेदार का विलंबित जुटाव।
पंजाब									
25	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट, सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	राज्य	1 2 3 4 5	33 33 33 33 33	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	2285.81 (04/08)	2285.81 (04/08)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रावी नदी के पानी के हिस्से और प्रशुल्क के कारण जम्मू व कश्मीर और पंजाब के बीच अंतरराज्य विवाद से 29.08.2014 से डैम का

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
			6 7	33 8	2017-18 2017-18				कार्य रोक दिया गया।
सिक्किम									
26	भास्मे (2x25.5 =51 मेगावाट) गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	निजी	1 2	25.5 25.5	2012-13 2012-13	408.50	690.30	281.80	<ul style="list-style-type: none"> वन स्वीकृति। विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
27	रंगित-IV एचई परियोजना (3X40 = 120 मेगावाट) जेपीसीएल	निजी	1 2 3	40 40 40	2011-12 2011-12 2011-12	726.17 (09/07)	1692.60 (06/16)	966.43	<ul style="list-style-type: none"> खराब भू-वैज्ञानिक स्थिति के कारण एचआरटी और सर्ज शॉफ्ट कार्यों की धीमी प्रगति। सितंबर, 2011 में भूकंप के कारण कार्य बाधित हुए। विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
28	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	निजी	1 2	33 33	2017-18 2017-18	496.44	496.44	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> कार्यों की धीमी प्रगति। विकासकर्ता के साथ वित्तीय समस्याएं।
29	रौंगनीचू (2x48 =96 मेगावाट) मध्य भारत प्रा. लि.	निजी	1 2	48 48	2015-16 2015-16	491.32	1187	695.68	<ul style="list-style-type: none"> भूमि अधिग्रहण। खराब भू-वैज्ञानिक स्थिति।
30	ताशिडिंग 2x48.5=97 मेगावाट शीघा एनर्जी प्रा. लि.	निजी	1 2	48.5 48.5	2015-16 2015-16	465.95	465.95	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> खराब भौगोलिक स्थिति। स्थानीय मामले।
31	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) लेंको एनर्जी प्रा. लि.	निजी	1 2 3 4	125 125 125 125	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13	3283.08 (2008)	7542.00 (12/16)	4258.92	<ul style="list-style-type: none"> खराब भौगोलिक स्थिति। भूमि अधिग्रहण। संविदा संबंधी मामले। विकासकर्ता के साथ निधि संबंधी बाधाएं।
32	पनन 4x75= 300 मेगावाट हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	निजी	1 2 3 4	75 75 75 75	2018-19 2018-19 2018-19 2018-19	1833.05 (2009)	2400.00 (09/16)	566.95	<ul style="list-style-type: none"> एनडब्ल्यूएलबी से स्वीकृति दिसंबर, 2015 में प्राप्त। एनजीटी द्वारा स्वीकृति।
तेलंगाना									
33	पुलीचिताला (4x30 = 120 मेगावाट) टीजीईएनसीओ	राज्य	1 2 3 4	30 30 30 30	2009-11 2009-11 2009-11 2009-11	380.00 (2006-07)	563.49	183.49	<ul style="list-style-type: none"> ईएंडएम कार्यों को अवाई करने में विलंब। अक्टूबर, 2009 और सितंबर, 2011 में अभूतपूर्व बाढ़। संविदा संबंधी मामले। विद्युत गृह कार्यों की धीमी

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
									प्रगति। ➤ पानी की अनुपलब्धता के कारण चालू करने में विलंब।
उत्तराखंड									
34	लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट) एनटीपीसी	केंद्रीय	1 2 3	57 57 57	2017-18 2017-18 2017-18 (अगस्त, 17)	1527.00 (12/06)	1801.07 (12/13)	274.07	➤ उत्तराखंड में जून, 2013 के दौरान अचानक बाढ़। ➤ बैराज क्षेत्र में स्थानीय मामले/कार्य प्रारंभ न होना। ➤ माननीय उच्चतम न्यायालय ने मई, 2014 से निर्माण कार्य पर रोक लगाई।
35	तपोवन विष्णुगाड (4x130 = 520 मेगावाट) एनटीपीसी	केंद्रीय	1 2 3 4	130 130 130 130	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13 (मार्च, 13)	2978.48 (11/06)	3846.30 (01/14)	867.82	➤ एचआरटी में खराब भूविज्ञान के कारण अत्यधिक जल का प्रवेश और टीबीएम पर पत्थर गिरे। टीबीएम तीन बार फंसी। ➤ जून, 2013 और अगस्त, 2012 में अचानक बाढ़ से कॉफर डैम को क्षति। ➤ बैराज और एचआरटी की सिविल संविदा की समाप्ति
36	टिहरी पीएसएस (4x250 = 1000 मेगावाट) टीएचडीसी	केंद्रीय	1 2 3 4	250 250 250 250	2010-11 2010-11 2010-11 2010-11 (जुलाई, 10)	1657.60 (दिसंबर-05)	2978.86	1321.26	➤ एल-1 कीमत बोली के लागत आकलन से ज्यादा होने के कारण आरसीई का अनुमोदन। आरसीई नवंबर, 2011 में अनुमोदित किया गया। ➤ संविदाकार के साथ नकद प्रवाह समस्या। ➤ बोलीकर्ताओं द्वारा मुकदमेबाजी। ➤ खराब भूविज्ञान। ➤ असेना खदान में स्थानीय विरोध। ➤ मक डिस्पोजल क्षेत्र में विरोध। ➤ संविदाकर्ता द्वारा खराब तैयारी। ➤ खराब भौगोलिक स्थिति के कारण मशीन हॉल के ले आउट का संशोधन।
37	विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111 = 444 मेगावाट) टीएचडीसी	केंद्रीय	1 2 3 4	111 111 111 111	2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 (जून, 13)	2491.58 (03/08)	2491.58 (03/08)	शून्य	➤ अगस्त, 2008 में सीसीईए अनुमोदन परंतु वन स्वीकृति/वन भूमि के परिवर्तन के कारण कार्य अवाई नहीं किया जा सका। वन भूमि जनवरी, 14 में अधिगृहीत की गई तथा बाद में जनवरी, 2014

क्रम सं.	परियोजना का नाम/आई.सी./ निष्पादनाधीन एजेंसी	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	मूल लागत (रुपए करोड़ में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)	लागत आधिक्य (रुपए करोड़ में)	समय एवं लागत आधिक्य के लिए कारण
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
									<ul style="list-style-type: none"> में कार्य अवाई किया गया। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा कार्य बाधित। ➤ संविदाकार के साथ नकद प्रवाह समस्या।
38	व्यासी 2x60=120 मेगावाट, यूजेवीएनएल	राज्य	1 2	60 60	2014-15 2014-15	936.23	936.23	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कार्यों को अवाई करने में विलंब। ➤ स्थानीय मामले।
39	फाटा ब्यूंग (2x38 = 76 मेगावाट), लैंको	निजी	1 2	38 38	2013-14 2013-14	520.00	1225.53	705.53	<ul style="list-style-type: none"> ➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़। ➤ एचआरटी में कमजोर भू-वैज्ञानिक स्थिति।
40	सिंगोली भटवारी (3x33 = 99 मेगावाट) एलएंडटी	निजी	1 2 3	33 33 33	2012-13 2012-13 2012-13	666.47 (2008)	1577 (2008)	910.53	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एचआरटी में खराब भू-वैज्ञानिक स्थिति। ➤ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध। ➤ जून, 2013 में अचानक बाढ़।
	पश्चिम बंगाल								
41	रम्माम-III (3x40= 120 मेगावाट)	केंद्रीय	1 2 3	40 40 40	2019-20 2019-20 2019-20	1381.84	1592.34	210.50	<ul style="list-style-type: none"> ➤ एडिट-1 से एडिट-2 तक पहुँच सड़क के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से वृक्ष काटने के लिए अनुमति प्राप्त करने में विलंब।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-814

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

जल विद्युत नीति

814. श्री मलयाद्रि श्रीरामः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत मंत्रालय जल विद्युत नीति बनाने, जिसका लक्ष्य 2022 तक जल विद्युत शामिल करने का है, संबंधी 175 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ख) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए वित्तपोषण के पैटर्न का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मंत्रालय इस संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने के पश्चात् निर्माण के दौरान कोई छूट प्रदान करेगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय ने जलविद्युत क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए नई जलविद्युत नीति, 2017 संबंधी प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ आकार पर ध्यान दिए बिना नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में सभी को जलविद्युत घोषित करना, विशिष्ट अवधि के भीतर सीओडी प्राप्त कर रही परियोजनाओं के लिए जलविद्युत दायित्व लाभ; अनुदान आधार पर फंडिंग पैटर्न के साथ निर्माणाधीन/चालू होने के उपरान्त ब्याज आर्थिक सहायता का अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-820

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों के विद्युतीकरण की चुनौतियां

820. श्री गौरव गोगोई:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को दिशानिर्देश/निदेश दिए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है;
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) प्रत्येक राज्य में ऐसे गांवों और परिवारों की संख्या कितनी है, जिनका 30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार, विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और
- (च) केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश के सभी गांवों और परिवारों में समुचित ग्रामीण विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन के अतिरिक्त इस स्कीम में फीडर पृथक्करण उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का विकास एवं सुदृढ़ीकरण शामिल है। इसमें केंद्रीय स्तर पर अन्तर-मंत्रालयी निगरानी समिति

के माध्यम से, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर की स्थायी समिति (एसएलएससी) और दिशा के माध्यम से जिला स्तर पर गहन निगरानी की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, वन एवं रेलवे स्वीकृतियों में विलम्ब, 33/11 केवी सब-स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण, मार्गाधिकार संबंधी (आरओडब्ल्यू) मुद्दे, बीपीएल सूची प्रदान करना, कुछ राज्यों में नक्सल समस्या तथा दुर्गम क्षेत्र सहित कानून एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दों के कारण कुछ राज्यों को छोड़कर गत तीन वर्षों के दौरान गांवों के विद्युतीकरण के लिए अधिकांश लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ङ) और (च) : राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 30-06-2017 तक की स्थिति के अनुसार गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव 3,618 हैं। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घरों की संख्या 7.50 करोड़ थी। डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत, 30-06-2017 तक 2.63 करोड़ बीपीएल घरों को विद्युतीकृत किया गया है। इसके ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिये गए हैं।

उपरोक्त भाग (क) और (ख) में दिए गए ब्यौरे के अतिरिक्त, भारत सरकार ने सभी वासस्थलों/घरों को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेजों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल भी की है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 820 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गैर-विद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1212
2	असम	480
3	बिहार	263
4	छत्तीसगढ़	280
5	जम्मू व कश्मीर	102
6	झारखंड	481
7	कर्नाटक	11
8	मध्य प्रदेश	47
9	मणिपुर	66
10	मेघालय	168
11	मिजोरम	12
12	ओडिशा	434
13	राजस्थान	1
14	उत्तर प्रदेश	6
15	उत्तराखंड	51
16	पश्चिम बंगाल	4
	कुल	3618

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 820 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत बीपीएल घरों को जारी किए गए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन

क्रम सं.	राज्य का नाम	बीपीएल घरों को जारी किए गए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	2648777
2	अरुणाचल प्रदेश	51621
3	असम	1210211
4	बिहार	4339872
5	छत्तीसगढ़	1149542
6	गुजरात	843104
7	हरियाणा	198580
8	हिमाचल प्रदेश	16290
9	जम्मू व कश्मीर	69148
10	झारखंड	1277605
11	कर्नाटक	987629
12	केरल	150305
13	मध्य प्रदेश	1803951
14	महाराष्ट्र	1221350
15	मणिपुर	70187
16	मेघालय	104457
17	मिजोरम	29710
18	नागालैंड	54484
19	ओडिशा	2845434
20	पंजाब	92988
21	राजस्थान	1227216
22	सिक्किम	13601
23	तमिलनाडु	502394
24	तेलंगाना	708865
25	त्रिपुरा	148368
26	उत्तर प्रदेश	2110609
27	उत्तराखंड	237921
28	पश्चिम बंगाल	2211040
	कुल	26325259

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-848

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन

848. श्री. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के जल विद्युत क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 2014 से 2016 वर्षों के दौरान देश में इस क्षेत्र की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या वास्तविक विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता से कम था; और

(घ) यदि हां, तो वास्तविक विद्युत उत्पादन की औसत दर क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान जल विद्युत क्षेत्र की औसत विद्युत उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है :

वर्ष	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
2014-15	41267.42
2015-16	42783.42
2016-17	44478.42

(ग) और (घ) : वर्ष 2014-15 के लिए वास्तविक विद्युत उत्पादन समरूपी वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य से अधिक था, जबकि भारत के कई भागों में सूखे की स्थिति के कारण, वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए, वास्तविक विद्युत उत्पादन लक्षित उत्पादन से कम हुआ। वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के दौरान जल विद्युत स्टेशनों से विद्युत उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य (एम यू)	प्राप्त (एम यू/प्रतिशत लक्ष्य का)
2014-15	124297	129243.68/103.98
2015-16	128000	121376.75/94.83
2016-17	134000	122377.56/91.33

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-858

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

858. श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में विभिन्न राज्यों से मांगें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में नए गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए गैस के आबंटन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे अनुबंध में संलग्न हैं। तथापि, गैस उत्पादन में प्रचंड कमी होने के कारण किसी भी नई परियोजना को गैस का आबंटन नहीं किया जा सका।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 858 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गैस के आबंटन के लिए सीईए में राज्यों से प्राप्त किए गए प्रस्ताव

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन/एजेंसी की नाम	स्थिति (विस्तार/ग्रीनफील्ड)	क्षमता (मेगावाट)	राज्य, जहां स्थित है
1	एपीपीडीसीएल द्वारा करीम नगर सीसीजीटी	ग्रीनफील्ड	2100	आंध्र प्रदेश
2	पीपीसीएल द्वारा प्रगति-III सीसीजीटी (बमनाली)	ग्रीनफील्ड	750	दिल्ली
3	जीएसईजी द्वारा हजीरा में सीसीपीपी	विस्तार	350	गुजरात
4	जीएसपीसी द्वारा पीपावाव सीसीजीटी	विस्तार	351	गुजरात
5	जीएसईसीएल द्वारा धुवरन सीसीपीपी-III	विस्तार	395	गुजरात
6	जीएसईसीएल द्वारा मनियारी सीसीजीटी (पटन के समीप)	ग्रीनफील्ड	1200	गुजरात
7	मैसर्स एचपीजीसीएल द्वारा फरीदाबाद सीसीजीटी	ग्रीनफील्ड	1500	हरियाणा
8	केपीसीएल द्वारा बिदादी सीसीजीटी	ग्रीनफील्ड	1400	कर्नाटक
9	केपीसीएल द्वारा टडाडी सीसीजीटी	ग्रीनफील्ड	2100	कर्नाटक
10	केएसईबी द्वारा ब्रह्मपुरम सीसीजीटी	ग्रीनफील्ड	400	केरल
11	केएसआईडीसी द्वारा चीमेनी सीसीजीटी	ग्रीनफील्ड	1200	केरल
12	महाजैको द्वारा उरन सीसीजीटी	विस्तार	1220	महाराष्ट्र
13	पीएसपीसीएल द्वारा रोपड़ सीसीजीटी	मौजूदा कोयला संयंत्र से गैस विस्तार	1000	पंजाब
14	आरआरवीयूएनएल द्वारा छाबड़ा सीसीपीपी	ग्रीनफील्ड	330	राजस्थान
15	आरआरवीयूएनएल द्वारा धोलपुर सीसीपीपी	विस्तार	330	राजस्थान
16	आरआरवीयूएनएल द्वारा कोटा सीसीपीपी	ग्रीनफील्ड	330	राजस्थान
17	आरआरवीयूएनएल द्वारा कोशोराय पटन सीसीपीपी	ग्रीनफील्ड	1000	राजस्थान
18	यूपीसीएल द्वारा जहांगीरपुर गैस परियोजना	ग्रीनफील्ड	1200	उत्तर प्रदेश
19	यूपीपीसीएल द्वारा गौतमबुद्ध नगर गैस परियोजना	ग्रीनफील्ड	1600	उत्तर प्रदेश
20	यूपीपीसीएल द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे विद्युत परियोजना	ग्रीनफील्ड	2000	उत्तर प्रदेश
21	पुडुचेरी पावर कारपोरेशन लि. (पीपीसीएल) द्वारा सीसीजीटी	ग्रीनफील्ड	350	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-864

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

2020 तक विद्युत मांग

864. श्री केसिनेनी श्रीनिवास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश में इस समय राज्य-वार कितने विद्युत संयंत्र विकासाधीन हैं;

(ख) देश में 2020 तक कितनी विद्युत मांग रहने का अनुमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पादन है;

(घ) क्या वर्तमान में देश अन्य देशों से विद्युत आयात कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में विद्युत की कमी वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में विद्युत उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत संयंत्र, जो निर्माणाधीन हैं, का ब्यौरा (राज्य-वार) अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) : 19वीं इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019-20 में अखिल भारतीय आधार पर अनुमानित वैद्युत ऊर्जा मांग और व्यस्ततम ऊर्जा मांग (यूटिलिटियां) क्रमशः 1400 बीयू और 2,00,696 मेगावाट है।

(ग) और घ) : देश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। देश भूटान से बिजली का आयात कर रहा है और इसके साथ ही बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को बिजली का निर्यात कर रहा है। बिजली के आयात और निर्यात का ब्यौरा निम्नवत है:

(एमयू में)

वर्ष	आयात	निर्यात			शुद्ध निर्यात
	भूटान	बांग्लादेश	नेपाल	म्यांमार	
2017-18 (मई 2017, तक)	526	858	447	0.8	780
2016-17	5,864	4,420	2,021	3	580

(ङ) और (च) : वर्तमान में, देश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। तथापि, बिजली की मांग एवं आपूर्ति में अंतर हो सकता है जो कि देश में विद्युत की अनुपलब्धता को छोड़कर कारकों के कारण है। गत वर्ष 2016-17 के दौरान और वर्तमान वर्ष 2017-18, (जून, 2017 तक) के दौरान ऊर्जा मांग और व्यस्ततम मांग के संबंध में विद्युत आपूर्ति की स्थिति अनुबंध-II में संलग्न है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 864 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा					
क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	ईंधन	यूनिट	क्षमता (मेगावाट में)
1	अरुणाचल प्रदेश	गोंगरी	हाइड्रो	यू-1 से	144
		2x72= 144 मेगावाट		यू-2	
2	अरुणाचल प्रदेश	सुबानसिरी लोअर	हाइड्रो	यू-1 से	2000
		8x250= 2000 मेगावाट		यू-8	
3	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	हाइड्रो	यू-1 से	600
		4x150= 600 मेगावाट		यू-4	
4	अरुणाचल प्रदेश	पारे	हाइड्रो	यू-1 से	110
		2x55= 110 मेगावाट		यू-2	
					2854
5	असम	नामरूप सीसीजीटी	थर्मल	एसटी	36.15
6	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	थर्मल	यू-3	250
					286.15
7	आंध्र प्रदेश	डॉ. नारला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	थर्मल	यू-1	800
8	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	थर्मल	यू-1	800
9	आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-IV	थर्मल	यू-6	600
10	आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	थर्मल	यू-1	660
11	आंध्र प्रदेश			यू-2	660
12	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	थर्मल	यू-3	350
13	आंध्र प्रदेश			यू-4	350
14	आंध्र प्रदेश	पोलावरम	हाइड्रो	यू-1 से	960
		12x80= 960 मेगावाट		यू-12	
					5180
15	बिहार	बरौनी टीपीएस एस्टें.	थर्मल	यू-8	250
				यू-9	250
16	बिहार	सिरिया टीपीपी (जस इंफ्रा. टीपीपी)	थर्मल	यू-1	660
				यू-2	660
				यू-3	660
				यू-4	660
17	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	थर्मल	यू-1	660
				यू-2	660
				यू-3	660
18	बिहार	नबी नगर टीपीपी	थर्मल	यू-3	250
				यू-4	250
19	बिहार	न्यू नबी नगर टीपीपी	थर्मल	यू-1	660
				यू-2	660
				यू-3	660
					7600
20	छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी	थर्मल	यू-1	800
				यू-2	800

21	छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	थर्मल	यू-3	600
				यू-4	600
				यू-5	600
				यू-6	600
22	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	थर्मल	यू-2	300
				यू-3	300
				यू-4	300
23	छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	थर्मल	यू-3	660
				यू-4	660
24	छत्तीसगढ़	सिंहहीतराई टीपीपी	थर्मल	यू-1	600
				यू-2	600
25	छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	थर्मल	यू-3	360
				यू-4	360
26	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	थर्मल	यू-2	135
27	छत्तीसगढ़	देवेरी (वीसा) टीपीपी	थर्मल	यू-1	600
					8875
28	गुजरात	वानकबोरी टीपीएस एक्सटें.	थर्मल	यू-8	800
29	गुजरात	केएपीपी	न्यूक्लियर		1400
					2200
30	जम्मू व कश्मीर	किशनगंगा	हाइड्रो	यू-1 से	330
		3x110= 330 मेगावाट		यू-3	
31	जम्मू व कश्मीर	परनई	हाइड्रो	यू-1 से	37.5
		3x12.5= 37.5 मेगावाट		यू-3	
32	जम्मू व कश्मीर	लोअर कलनई	हाइड्रो	यू-1 से	48
		2x24= 48 मेगावाट		यू-2	
33	जम्मू व कश्मीर	रत्ले	हाइड्रो	यू-1 से	850
		4x205+1x30= 850 मेगावाट		यू-5	
					1265.5
34	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा टीपी	थर्मल	यू-1	660
				यू-2	660
				यू-3	660
35	झारखंड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	थर्मल	यू-1	270
				यू-2	270
36	झारखंड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	थर्मल	यू-3	270
				यू-4	270
37	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-I	थर्मल	यू-1	600
				यू-2	600
38	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-II	थर्मल	यू-3	600
					4860
39	हिमाचल प्रदेश	उहल-III	हाइड्रो	यू-1 से यू-3	100
		3x33.33= 100 मेगावाट			
40	हिमाचल प्रदेश	सैंज	हाइड्रो	यू- 1 व	100
		2X50=100 मेगावाट		यू- 2	
41	हिमाचल प्रदेश	स्वारा कुड्डू	हाइड्रो	यू-1 से	111
		3x37= 111 मेगावाट		यू-3	
42	हिमाचल प्रदेश	शोंगटोंग करछम	हाइड्रो	यू-1 से	450
		3x150= 450 मेगावाट		यू-3	
43	हिमाचल प्रदेश	पारबती स्टे.-II	हाइड्रो	यू-1 से	800
		4x200= 800 मेगावाट		यू-4	
44	हिमाचल प्रदेश	सोरांग	हाइड्रो	यू-1 व	100

		2x50= 100 मेगावाट		यू-2	
45	हिमाचल प्रदेश	टंगनु रोमई- I 2x22= 44 मेगावाट	हाइड्रो	यू-1 से यू-2	44
46	हिमाचल प्रदेश	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट	हाइड्रो	यू-1 से यू-3	180
47	हिमाचल प्रदेश	चंजू-I 3x12= 36 मेगावाट (2 यूनिटें चालू की गईं)	हाइड्रो	यू-3	12
48	हिमाचल प्रदेश	टिडोंग-I 2x50= 100 मेगावाट	हाइड्रो	यू-1 से यू-2	100
					1997
49	कर्नाटक	येलाहांका सीसीपीपी	थर्मल	जीटी+एसटी	370
50	कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी फेज-I	थर्मल	यू-3	800
					1170
51	केरल	पल्लीवसल 2x30= 60 मेगावाट	हाइड्रो	यू-1 से यू-2	60
52	केरल	थोटियार 1x30 + 1x10= 40 मेगावाट	हाइड्रो	यू-1 से यू-2	40
					100
53	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	थर्मल	यू-2	660
54	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	थर्मल	यू-1 यू-2 यू-3 यू-4 यू-5	270 270 270 270 270
55	महाराष्ट्र	लैंको विदर्भा टीपीपी	थर्मल	यू-1 यू-2	660 660
56	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	थर्मल	यू-1 यू-2 यू-3 यू-4 यू-5	270 270 270 270 270
57	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी	थर्मल	यू-1 यू-2	300 300
58	महाराष्ट्र	शौरपुर टीपीपी	थर्मल	यू-1 यू-2	150 150
59	महाराष्ट्र	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40= 80 मेगावाट	हाइड्रो	यू-1 से यू-2	80
					5660
60	मध्य प्रदेश	श्री सिंघाजी टीपीपी स्टे.-II	थर्मल	यू-3 यू-4	660 660
61	मध्य प्रदेश	गदरवारा टीपीपी	थर्मल	यू-1 यू-2	800 800
62	मध्य प्रदेश	खरगोन टीपीपी	थर्मल	यू-1 यू-2	660 660
63	मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	थर्मल	यू-2	600
64	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी	थर्मल	यू-1	660
65	मध्य प्रदेश	निवारी टीपीपी	थर्मल	यू-2	45
66	मध्य प्रदेश	महेश्वर 10x40= 400 मेगावाट	हाइड्रो	यू-1 से यू-10	400
					5945

67	मिजोरम	तुरियल	हाइड्रो	यू-1 से	60
		2x30= 60 मेगावाट		यू-2	
					60
68	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी	थर्मल	यू-3	660
				यू-4	660
69	ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	थर्मल	यू-1	800
				यू-2	800
70	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	थर्मल	यू-2	350
71	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	थर्मल	यू-1	350
				यू-2	350
				यू-3	350
72	ओडिशा	लैंको बबंध टीपीपी	थर्मल	यू-1	660
				यू-2	660
73	ओडिशा	मली ब्राहमणी टीपीपी	थर्मल	यू-1	525
				यू-2	525
					6690
74	पंजाब	शाहपुरकंडी	हाइड्रो	यू-1 से	206
		3x33+3x33+1x8= 206 मेगावाट		यू-7	
					206
75	राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी	थर्मल	यू-6	660
76	राजस्थान	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	थर्मल	यू-7	660
				यू-8	660
77	राजस्थान	आरएपीपी	न्यूक्लियर		1400
					3380
78	सिक्किम	तीस्ता-VI	हाइड्रो	यू-1 से	500
		4x125= 500 मेगावाट		यू-4	
79	सिक्किम	रंगित-IV	हाइड्रो	यू-1 से	120
		3x40= 120 मेगावाट		यू-3	
80	सिक्किम	भास्मे	हाइड्रो	यू-1 से	51
		2x25.5= 51 मेगावाट		यू-2	
81	सिक्किम	ताशिडिंग	हाइड्रो	यू-1 से	97
		2x48.5= 97 मेगावाट		यू-2	
82	सिक्किम	रंगित-II	हाइड्रो	यू-1 से	66
		2x33= 66 मेगावाट		यू-2	
83	सिक्किम	रोंगनीचू	हाइड्रो	यू-1 से	96
		2x48= 96 मेगावाट		यू-2	
84	सिक्किम	पनन	हाइड्रो	यू-1 से	300
		4x75= 300 मेगावाट		यू-4	
					1230
85	तेलंगाना	कोथागुडेम टीपीएस स्टे.-VII	थर्मल	यू-1	800
86	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी	थर्मल	यू-1	270
				यू-2	270
				यू-3	270
				यू-4	270
87	तेलंगाना	तेलंगाना फेज- I	थर्मल	यू-1	800
				यू-2	800
88	तेलंगाना	पुलीचिंताला	हाइड्रो	यू-2 से	90
		4x30= 120 मेगावाट (30 मेगावाट चालू की गई)		यू-4	
					3570
89	तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी	थर्मल	यू-1	660

90	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी	थर्मल	यू-1	660
				यू-2	660
91	तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	थर्मल	यू-1	800
92	तमिलनाडु	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	थर्मल	यू-1	800
				यू-2	800
93	तमिलनाडु	नेवैली न्यू टीपीपी	थर्मल	यू-1	500
				यू-2	500
94	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ)	थर्मल	यू-1	660
95	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	थर्मल	यू-1	525
96	तमिलनाडु	भाविनी	न्यूक्लियर		500
					7065
97	उत्तराखंड	व्यासी	हाइड्रो	यू- 1 व	120
		2X60=120 मेगावाट		यू- 2	
98	उत्तराखंड	तपोवन विष्णुगाड	हाइड्रो	यू-1 से	520
		4x130=520 मेगावाट		यू-4	
99	उत्तराखंड	टिहरी पीएसएस	हाइड्रो	यू-1 से	1000
		4x250= 1000 मेगावाट		यू-4	
100	उत्तराखंड	लता तपोवन	हाइड्रो	यू-1 से	171
		3x57= 171 मेगावाट		यू-3	
101	उत्तराखंड	विष्णुगाड पीपलकोटि	हाइड्रो	यू-1 से	444
		4x111= 444 मेगावाट		यू-4	
102	उत्तराखंड	फाटा ब्यंग	हाइड्रो	यू-1 से	76
		2x38= 76 मेगावाट		यू-2	
103	उत्तराखंड	सिंगोली भटवारी	हाइड्रो	यू-1 से	99
		3x33= 99 मेगावाट		यू-3	
					2430
104	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	थर्मल	यू-1	660
105	उत्तर प्रदेश	जवाहरपुर एसटीपीपी	थर्मल	यू-1	660
				यू-2	660
106	उत्तर प्रदेश	ओबरा-सी एसटीपीपी	थर्मल	यू-1	660
				यू-2	660
107	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	थर्मल	यू-1	660
				यू-2	660
108	उत्तर प्रदेश	घाटमपुर टीपीपी	थर्मल	यू-1	660
				यू-2	660
				यू-3	660
109	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी	थर्मल	यू-1	660
				यू-2	660
					7920
110	पश्चिम बंगाल	रम्माम-III	हाइड्रो	यू-1 से	120
		3x40=120 मेगावाट		यू-3	
111	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर टीपीपी	थर्मल	यू-2	150
				यू-3	150
					420
					80963.65

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 864 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2016-17 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017				अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	(%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	पूरी नहीं की गई मांग (मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,645	1,645	0	0	361	361	0	0
दिल्ली	30,829	30,797	32	0.1	6,342	6,261	81	1.3
हरियाणा	48,895	48,895	0	0.0	9,262	9,262	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,831	8,779	52	0.6	1,499	1,499	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	17,398	14,194	3,204	18.4	2,675	2,140	535	20.0
पंजाब	53,098	53,098	0	0.0	11,408	11,408	0	0.0
राजस्थान	67,838	67,415	423	0.6	10,613	10,348	265	2.5
उत्तर प्रदेश	107,569	105,701	1,868	1.7	17,183	16,110	1,073	6.2
उत्तराखंड	13,069	12,986	83	0.6	2,037	2,037	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	349,172	343,513	5,659	1.6	53,372	52,612	760	1.4
छत्तीसगढ़	23,750	23,697	53	0.2	3,875	3,851	25	0.6
गुजरात	103,706	103,705	1	0.0	14,724	14,719	5	0.0
मध्य प्रदेश	65,759	65,758	1	0.0	11,512	11,501	11	0.1
महाराष्ट्र	139,295	139,228	67	0.0	22,516	22,207	309	1.4
दमन व दीव	2,398	2,398	0	0.0	334	334	0	0.0
दादर व नागर हवेली	6,021	6,021	0	0.0	784	784	0	0.0
गोवा	4,319	4,317	2	0.0	546	531	14	2.6
पश्चिमी क्षेत्र	345,247	345,127	120	0.0	48,531	48,313	218	0.4
आंध्र प्रदेश	54,300	54,257	43	0.1	7,969	7,965	4	0.1
तेलंगाना	53,030	53,018	12	0.0	9,187	9,187	0	0.0
कर्नाटक	66,899	66,537	362	0.5	10,261	10,242	19	0.2
केरल	24,296	24,261	35	0.1	4,132	3,996	135	3.3
तमिलनाडु	104,511	104,487	24	0.0	14,823	14,823	0	0.0
पुडुचेरी	2,548	2,545	3	0.1	371	368	3	0.7
लक्षद्वीप#	48	48	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	305,588	305,106	482	0.2	42,232	42,232	0	0.0
बिहार	25,711	25,130	581	2.3	3,883	3,759	125	3.2
डीवीसी	18,929	18,791	138	0.7	2,721	2,721	0	0.0
झारखंड	7,960	7,906	54	0.7	1,498	1,498	0	0.0
ओडिशा	26,758	26,756	2	0.0	4,012	4,012	0	0.0
पश्चिम बंगाल	47,948	47,807	141	0.3	7,931	7,886	45	0.6
सिक्किम	475	475	0	0.0	112	112	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	240	180	60	25	40	32	8	20
पूर्वी क्षेत्र	127,783	126,867	916	0.7	18,908	18,788	120	0.6
अरुणाचल प्रदेश	729	714	15	2.1	148	140	8	5.4
असम	9,020	8,694	326	3.6	1,673	1,633	40	2.4
मणिपुर	764	740	24	3.1	163	163	0	0.2
मेघालय	1,715	1,715	0	0.0	331	331	0	0.0
मिजोरम	514	501	13	2.5	98	98	0	0.0
नागालैंड	757	745	12	1.6	148	147	1	0.7
त्रिपुरा	1,644	1,621	23	1.4	284	284	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	15,140	14,720	420	2.8	2,487	2,475	12	0.5
अखिल भारत	1,142,928	1,135,332	7,596	0.7	159,542	156,934	2,608	1.6

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

2017-18 के लिए विद्युत आपूर्ति (अनंतिम)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2017 - जून, 2017				अप्रैल, 2017 - जून, 2017			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	(%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	पूरी नहीं की गई मांग (मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	487	478	9	2	340	340	0	0
दिल्ली	9,345	9,338	7	0.1	6,553	6,526	27	0.4
हरियाणा	12,875	12,875	0	0.0	8,912	8,912	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,326	2,317	9	0.4	1,377	1,377	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	4,597	3,669	928	20.2	2,768	2,214	554	20.0
पंजाब	14,015	14,015	0	0.0	10,786	10,786	0	0.0
राजस्थान	16,829	16,723	106	0.6	10,347	10,347	0	0.0
उत्तर प्रदेश	31,942	31,575	367	1.1	18,827	18,061	766	4.1
उत्तराखंड	3,500	3,493	7	0.2	2,027	2,027	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	95,915	94,481	1,434	1.5	53,382	52,429	953	1.8
छत्तीसगढ़	6,829	6,829	0	0.0	3,888	3,887	1	0.0
गुजरात	29,192	29,192	0	0.0	15,693	15,693	0	0.0
मध्य प्रदेश	16,166	16,166	0	0.0	8,402	8,402	0	0.0
महाराष्ट्र	40,054	40,003	51	0.1	22,542	22,494	48	0.2
दमन व दीव	630	630	0	0.0	342	342	0	0.0
दादर व नागर हवेली	1,525	1,525	0	0.0	771	771	0	0.0
गोवा	1,036	1,036	0	0.0	558	557	1	0.2
पश्चिमी क्षेत्र	95,433	95,382	51	0.1	49,860	49,788	72	0.1
आंध्र प्रदेश	14,384	14,377	7	0.0	8,024	8,000	24	0.3
तेलंगाना	13,291	13,286	5	0.0	9,009	9,001	8	0.1
कर्नाटक	16,640	16,634	6	0.0	9,992	9,987	5	0.1
केरल	6,394	6,388	6	0.1	3,889	3,862	27	0.7
तमिलनाडु	27,986	27,977	9	0.0	15,001	14,975	26	0.2
पुडुचेरी	703	703	0	0.0	388	387	0	0.1
लक्षद्वीप#	12	12	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	79,399	79,365	34	0.0	42,770	42,535	235	0.5
बिहार	6,797	6,606	191	2.8	4,122	4,021	101	2.5
झीवीसी	5,230	5,221	9	0.2	2,770	2,770	0	0.0
झारखंड	1,969	1,962	7	0.4	1,211	1,211	0	0.0
ओडिशा	7,285	7,283	2	0.0	4,227	4,227	0	0.0
पश्चिम बंगाल	13,627	13,571	56	0.4	7,828	7,828	0	0.0
सिक्किम	106	106	0	0.0	91	91	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	60	45	15	25	40	32	8	20
पूर्वी क्षेत्र	35,015	34,751	264	0.8	19,238	19,191	47	0.2
अरुणाचल प्रदेश	183	180	3	1.6	145	145	0	0.2
असम	2,227	2,111	116	5.2	1,744	1,623	121	6.9
मणिपुर	184	181	3	1.6	163	161	2	1.2
मेघालय	407	407	0	0.0	304	304	0	0.1
मिजोरम	124	122	2	1.6	86	85	1	0.8
नागालैंड	187	184	3	1.6	147	146	1	0.7
त्रिपुरा	605	592	13	2.1	280	276	4	1.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3,918	3,777	141	3.6	2,499	2,391	108	4.3
अखिल भारत	309,680	307,755	1,925	0.6	159,816	158,393	1,423	0.9

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-865

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत मांग

865. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में विद्युत की मांग में औसतन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है;
- (ख) क्या इन क्षेत्रों को उनकी मांग के अनुसार विद्युत की आपूर्ति की जा रही है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय ऊर्जा विक्रय (श्रेणी-वार) में औसतन वार्षिक वृद्धि अनुबंध-1 में दी गई है।

(ख) और (ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य में कृषि, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं सहित विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों सहित विभिन्न स्रोतों से विद्युत की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना द्वारा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे विद्युत के आबंटन द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को केवल बढ़ावा देती है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत वर्ष (2016-17) और वर्तमान वर्ष (जून, 2017 तक) के दौरान कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की अवधि अनुबंध-II में दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसी अवधि के दौरान उद्योगों पर कोई अधिसूचित विद्युत कटौती नहीं की गई है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 865 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय इलैक्ट्रिकल ऊर्जा बिक्री (यूटिलिटियां)							
श्रेणी	2015-16 के दौरान विक्रय की गई ऊर्जा (जीडब्ल्यूएच)	2014-15 के दौरान विक्रय की गई ऊर्जा (जीडब्ल्यूएच)	पिछले वर्ष 2014-15 की तुलना में विक्रय में % वृद्धि	2013-14 के दौरान विक्रय की गई ऊर्जा (जीडब्ल्यूएच)	पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में विक्रय में % वृद्धि	2012-13 के दौरान विक्रय की गई ऊर्जा (जीडब्ल्यूएच)	पिछले वर्ष 2012-13 की तुलना में विक्रय में % वृद्धि
घरेलू	238875.69	217404.72	9.88	199841.79	8.79	183700.45	8.79
औद्योगिक विद्युत	285696.28	284074.36	0.57	384418.28	8.83	250531.21	4.62
कृषि	173185.37	168913.46	2.53	152744.33	10.59	147461.92	3.58

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 865 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति				
राज्य/क्षेत्र	2017-18 (जून, 2017 तक)	2016-17	2015-16	2014-15
	आपूर्ति के औसत घंटे			
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़*				
दिल्ली	दिल्ली में कृषि भार नहीं है।			
हरियाणा	08:00 - 09:10 घंटे/दिन	09:03 - 11:54 घंटे/दिन	9:56 - 11:41 घंटे/दिन	08:35 - 11:23 घंटे/दिन
हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबीएल के पास केवल 2% कृषि उपभोक्ता हैं और कृषि क्षेत्र को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।	एचपीएसईबीएल के पास केवल 2% कृषि उपभोक्ता हैं और कृषि क्षेत्र को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।	एचपीएसईबीएल के पास केवल 2% कृषि उपभोक्ता हैं और कृषि क्षेत्र को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।	एचपीएसईबीएल के पास केवल 2% कृषि उपभोक्ता हैं और कृषि क्षेत्र को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
जम्मू व कश्मीर*	-	-	-	-
पंजाब	04:00 - 07:44 घंटे/दिन	04:54 - 09:14 घंटे/दिन	06:13 - 10:51 घंटे/दिन	06:09 - 09:01 घंटे/दिन
राजस्थान	06.45 घंटे/दिन	06.45 घंटे/दिन	06.45 घंटे/दिन	06:30 - 06.45 घंटे/दिन
उत्तर प्रदेश	18:44 - 19:47 घंटे/दिन	13:07 - 19:05 घंटे/दिन	09:38 - 13:38 घंटे/दिन	07:02 - 15:48 घंटे/दिन
उत्तराखंड	22:42 - 24:00 घंटे/दिन	23:13 - 24:00 घंटे/दिन	19:31 - 23:55 घंटे/दिन	18:29 - 24:00 घंटे/दिन
पश्चिमी क्षेत्र				
छत्तीसगढ़	18 घंटे/दिन	18 घंटे/दिन	18 घंटे/दिन	18 घंटे/दिन
गुजरात	8 घंटे/दिन	8 घंटे/दिन	8 घंटे/दिन	8 घंटे/दिन
मध्य प्रदेश	3 फेज (सिंचाई): 9.31- 09:46 घंटे/दिन 3 फेज (मिश्रित) आपूर्ति: 23:00 - 23:16 घंटे/दिन	3 फेज (मिश्रित) आपूर्ति: 22:53 - 23:25 घंटे/दिन	3 फेज (मिश्रित) आपूर्ति: 22:51 - 23:32 घंटे/दिन	3 फेज (मिश्रित) आपूर्ति: 21:34 - 23:35 घंटे/दिन
महाराष्ट्र	9 घंटे/दिन	9 - 12 घंटे/दिन	9 घंटे/दिन	9 घंटे/दिन
गोवा	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	07 घंटे/दिन	07 घंटे/दिन	07 घंटे/दिन	07 घंटे/दिन
तेलंगाना**	09 घंटे/दिन	09 घंटे/दिन	07 घंटे/दिन	07 घंटे/दिन
कर्नाटक	6 घंटे/दिन	6 घंटे/दिन	6 घंटे/दिन	6 घंटे/दिन
केरल	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं
तमिलनाडु	9 घंटे/दिन सुनिश्चित है (दिन के समय के दौरान 6 घंटे तथा रात्रि के समय के दौरान 3 घंटे)	9 घंटे/दिन सुनिश्चित है (दिन के समय के दौरान 6 घंटे तथा रात्रि के समय के दौरान 3 घंटे)	9 घंटे/दिन सुनिश्चित है (दिन के समय के दौरान 6 घंटे तथा रात्रि के समय के दौरान 3 घंटे)	9 घंटे/दिन सुनिश्चित है (दिन के समय के दौरान 6 घंटे तथा रात्रि के समय के दौरान 3 घंटे)
पुडुचेरी	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	लगभग 18 घंटे	लगभग 18 घंटे	लगभग 18 घंटे	लगभग 18 घंटे
झारखंड	लगभग 20 घंटे	लगभग 20 घंटे	लगभग 20 घंटे	लगभग 20 घंटे
ओडिशा	24 घंटे	24 घंटे	24 घंटे	24 घंटे
पश्चिम बंगाल	लगभग 23 घंटे	लगभग 23 घंटे	लगभग 23 घंटे	लगभग 23 घंटे
* आंकड़े उपलब्ध नहीं।				
** तेलंगाना की स्थापना जून, 2014 से पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को दो भागों में विभाजित करने के पश्चात नए राज्य आंध्र प्रदेश और नए राज्य तेलंगाना के रूप में की गई थी।				
टिप्पणी:- राज्य यूटिलिटीयों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर, ग्रिड प्रबंधन विभाग, सीईए द्वारा तैयार की गई वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति पर आधारित				

उद्योगों पर अधिसूचित विद्युत कटौती/प्रतिबंध

राज्य/क्षेत्र	2017-18 (जून, 2017 तक)		2016-17		2015-16		2014-15	
	ऊर्जा कटौती	मांग कटौती	ऊर्जा कटौती	मांग कटौती	ऊर्जा कटौती	मांग कटौती	ऊर्जा कटौती	मांग कटौती
उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ़*								
दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जम्मू व कश्मीर*								
पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0-3.35 एमयू/दिन	शून्य
राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0-2.8 एमयू/दिन	0-700 मेगावाट
उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य - 0.334 एमयू/दिन	शून्य-140 मेगावाट	0.049-0.905 एमयू/दिन	140 मेगावाट	0.2510- 1.228 एमयू/दिन	140 मेगावाट
पश्चिमी क्षेत्र								
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गुजरात	शून्य	शून्य	सभी उद्योगों को सप्ताह के प्रत्येक दिन अपनी यूनिट को चलाने की अनुमति दी जाती है और यदि वे आकस्मिक छुट्टी का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें केवल आकस्मिक दिन ही अधिसूचित होना होता है और वे अपने विकल्प के अनुमय लाभ नहीं उठा सकते हैं। सभी उद्योगों से अपने अवकाश के समय को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।	सभी उद्योगों को सप्ताह के प्रत्येक दिन अपनी यूनिट को चलाने की अनुमति दी जाती है और यदि वे आकस्मिक छुट्टी का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें केवल आकस्मिक दिन ही अधिसूचित होना होता है और वे अपने विकल्प के अनुमय लाभ नहीं उठा सकते हैं। सभी उद्योगों से अपने अवकाश के समय को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।	सभी उद्योगों को सप्ताह के प्रत्येक दिन अपनी यूनिट को चलाने की अनुमति दी जाती है और यदि वे आकस्मिक छुट्टी का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें केवल आकस्मिक दिन ही अधिसूचित होना होता है और वे अपने विकल्प के अनुमय लाभ नहीं उठा सकते हैं। सभी उद्योगों से अपने अवकाश के समय को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।			
मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तेलंगाना**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिन के समय के दौरान एचटी औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के संबंध में आधार मांग और ऊर्जा खपत पर 20% कटौती। आधार मांग पर 90% कटौती (18 घंटे से 22 घंटे तक) लगाई गई थी।	
पुडुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं
झारखंड	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं
ओडिशा	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं
पश्चिम बंगाल	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं	कोई अधिसूचित कटौती नहीं
* आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।								
** तेलंगाना की स्थापना जून, 2014 से आंध्र प्रदेश राज्य के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के कारण हुई थी।								
टिप्पणी:- राज्य यूटिलिटीयों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर, ग्रिड प्रचालन विभाग, सीईए द्वारा तैयार की गई वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति पर आधारित								

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-876

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

ईसीबीसी-2017

876. श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

श्री आनंदराव अडसुलः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री धर्मन्द्र यादवः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार है कि भविष्य में सभी नए भवन और कार्यालय सुपर ईसीबीसी होंगे और नेट जीरो इनर्जी भवन होंगे;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने हाल ही में इनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 (ईसीबीसी) शुरू किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और यह किस प्रकार से लाभदायक होगा;
- (ङ) क्या इस कोड के द्वारा वर्ष 2030 तक विद्युत में कमी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई अनुमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या वर्ष 2030 तक विद्युत में 50 प्रतिशत तक की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने का अनुमान है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भवनों में ऊर्जा दक्षता को लागू करने के लिए वर्ष 2007 में स्वैच्छिक कोड के रूप में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) की शुरुआत की थी। ईसीबीसी उन वाणिज्यिक भवनों के लिए, जिनके पास 100 किलोवाट से संबद्ध भार अथवा 120 केवी तथा इससे अधिक की संविदा मांग है, न्यूनतम ऊर्जा मानक तैयार किए हैं। ईसीबीसी 2017 19 जून, 2017 को शुरू किया गया है जिसमें बढ़ी हुई दीवार, रूफ इन्सुलेटर, एफिशिएंट ग्लास, एफिशिएंट कम्फर्ट तथा कंट्रोल प्रणाली एवं उपयुक्त अभिविन्यास तथा शेडिंग वाले

उपयुक्त भवन निर्माण पैरामीटरों के माध्यम से ऊर्जा बचतों के लिए उपाय शामिल हैं। यह ऊर्जा दक्ष भवनों के डिजाइन एवं निर्माण हेतु मानदण्ड एवं मानदण्डों को तीन श्रेणियों अर्थात (i) ईसीबीसी कंप्लायंट (ii) ईसीबीसी प्लस तथा (iii) सुपर ईसीबीसी में निर्धारित करता है। कोड में प्रस्तावित विभिन्न उपायों को भवनों को नेट जीरो ऊर्जा दक्षता भवनों की श्रेणी में बदलने के लिए नवीकरणीयों के उपयोग के साथ जोड़ा जा सकता है।

वर्तमान में, यह अधिदेश देने का कोई प्रस्ताव नहीं है कि भविष्य में सभी नए भवन तथा कार्यालय सुपर ईसीबीसी तथा नेट जीरो ऊर्जा भवन होने चाहिए। तथापि, सभी कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालयों, संबद्ध कार्यालय जिनमें विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) तथा उनके संयुक्त उद्यम शामिल हैं, को उनके भवनों तथा कार्यालयों को नेट जीरो भवनों में बदलने के लिए कार्य-योजना तैयार करने की सलाह दी गई है।

(ड) और (च) : यह अनुमान लगाया गया है कि ईसीबीसी, 2017 को अपनाने से वर्ष 2018 से आगे निर्मित होने वाले सभी नए वाणिज्यिक भवनों में वर्ष 2030 तक 25% की ऊर्जा बचत होगी। इसके अतिरिक्त, ईसीबीसी प्लस तथा सुपर ईसीबीसी मापदण्डों को अपनाने के फलस्वरूप क्रमशः 35% तथा 50% ऊर्जा बचत होने का अनुमान है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-882

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत की कमी

882. श्री भर्तृहरि महताब:

श्री सी. एस. पुट्टा राजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल से विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण देश में कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विद्युत की कमी बनी रही और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान देश में केन्द्रीय पूल से विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पूल से अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन चौबीसों घंटे विद्युत की आपूर्ति नहीं कर पाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन/जांच करवायी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) देश में विद्युत की कमी वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में और संपूर्ण देश में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, नहीं। विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्र सरकार, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों और पारेषण प्रणालियों की स्थापना करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। देश में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है और इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यदि विद्युत की कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से विद्युत क्रय करने की सलाह दी गई है।

वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और चालू वर्ष (अप्रैल-मई, 2017) के दौरान केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (केंद्रीय क्षेत्र स्टेशनों से शेड्यूल) से विद्युत की मांग (ऊर्जा आवश्यकता), पात्रता और आपूर्ति के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। सामान्यतः राज्यों ने केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों में अपनी पात्रता तक विद्युत की मांग नहीं की है।

(घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में विद्युत की अधिकता के बावजूद कुछ राज्य निम्नलिखित कारणों की वजह से विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं:

1. उप-पारेषण और वितरण बाधाएं।
2. राज्यों के स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशनों का खराब निष्पादन।
3. कई राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की खराब वित्तीय स्थिति।
4. उच्च सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां।

(ङ) : देश में सभी को विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और विद्युत की कमी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 99,209 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है तथा नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 29,462 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
- (iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 1,10,370 सर्किट किलोमीटर और 2,82,750 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 3,31,214 एमवीए पूरी कर दी गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और कार्यान्वयनाधीन है।
- (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडरों को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय परिवर्तन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 882 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से मांग (ऊर्जा आवश्यकता) पात्रता, अनुसूची												
राज्य	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18 (मई तक)		
	मांग (ऊर्जा आवश्यकता)	सीजीएस से पात्रता	सीजीएस से अनुसूची	मांग (ऊर्जा आवश्यकता)	सीजीएस से पात्रता	सीजीएस से अनुसूची	मांग (ऊर्जा आवश्यकता)	सीजीएस से पात्रता	सीजीएस से अनुसूची	मांग (ऊर्जा आवश्यकता) (मई, 2017 तक)	सीजीएस से पात्रता (मई, 2017 तक)	सीजीएस से अनुसूची (मई, 2017 तक)
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
चंडीगढ़	1,616	960	844	1,607	1,108	992	1,645	1,235	1,036	308	251	208
दिल्ली	29,231	22,862	19,080	29,626	27,964	19,521	30,829	32,719	19,323	5,985	5,711	3,932
हरियाणा	46,615	17,125	12,094	47,506	19,905	13,225	48,895	19,455	14,471	8,301	3,486	2,919
हिमाचल प्रदेश	8,807	6,230	5,771	8,821	7,149	6,800	8,831	7,162	6,880	1,572	1,532	1,415
जम्मू व कश्मीर	16,214	11,115	9,976	16,572	12,262	10,636	17,398	12,199	10,628	3,104	2,362	1,997
पंजाब	48,629	20,312	17,675	49,687	23,104	18,790	53,098	22,393	18,972	8,541	3,864	3,376
राजस्थान	65,717	19,000	16,423	67,417	21,496	17,801	67,838	21,276	17,734	11,271	3,832	3,053
उत्तर प्रदेश	1,03,179	38,044	35,786	1,06,351	42,911	39,718	1,07,569	42,022	37,021	20,819	7,228	6,271
उत्तराखंड	12,445	5,272	4,751	12,889	6,139	5,536	13,069	6,269	5,443	2,307	1,116	933
छत्तीसगढ़	21,499	8,726	7,777	25,649	8,889	7,474	23,750	8,876	7,491	4,782	1,527	1,180
गुजरात	96,235	38,048	31,956	1,03,544	39,270	32,371	1,03,706	30,321	26,134	19,793	4,677	4,001
मध्य प्रदेश	53,374	32,030	28,809	62,374	41,064	35,879	65,759	33,401	26,933	10,876	4,517	3,664
महाराष्ट्र	1,34,897	44,722	34,461	1,41,817	42,320	33,619	1,39,295	39,464	33,100	28,300	6,785	5,772
दमन व दीव	2,086	2,336	1,832	2,337	2,365	1,869	2,398	2,148	1,587	424	416	238
दादरा नागर हवेली	5,307	5,299	4,101	5,925	5,499	3,812	6,021	5,275	3,413	1,024	976	597
गोवा	3,969	3,689	3,403	5,120	3,762	3,423	4,319	3,477	3,292	724	636	571
आंध्र प्रदेश	59,198	16,602	16,115	50,436	13,491	12,477	54,300	12,872	11,599	10,026	2,373	2,165
तेलंगाना	43,337	12,916	12,554	50,254	16,802	14,891	53,030	14,471	12,813	9,414	2,470	1,847
कर्नाटक	62,643	14,444	14,148	64,302	16,554	15,667	66,899	20,487	19,481	11,684	3,297	3,120
केरल	22,459	13,556	11,540	23,318	14,422	11,595	24,296	13,551	10,575	4,505	2,280	1,747
तमिलनाडु	95,758	27,328	26,960	97,276	30,259	29,717	1,04,511	36,322	33,062	19,043	6,122	5,246
पुडुचेरी	2,402	2,413	2,338	2,437	2,670	2,423	2,548	3,018	2,588	480	523	491
बिहार	19,294	12,905	12,735	23,961	16,330	15,950	25,711	19,003	18,252	4,443	3,263	3,217
डीवीसी	18,222	1,286	1,229	18,437	1,163	1,107	18,929	1,341	1,168	3,519	183	163
झारखंड	7,599	2,802	2,718	7,735	3,393	3,096	7,960	3,782	3,817	1,337	578	655
ओडिशा	26,482	8,244	7,784	26,762	8,936	7,448	26,758	9,676	8,281	5,056	1,323	1,230
पश्चिम बंगाल	47,086	7,298	6,822	47,359	8,031	6,810	47,948	8,653	7,109	9,533	1,191	1,014
सिक्किम	399	839	780	399	974	773	475	1,053	818	74	175	162
अरुणाचल प्रदेश	677	480	464	626	621	602	729	768	727	126	100	97
असम	8,527	4,276	4,111	8,762	5,102	4,232	9,020	6,459	5,929	1,404	858	787
मणिपुर	705	537	518	840	778	748	764	1,102	968	123	163	152
मेघालय	1,930	978	865	1,833	1,024	937	1,715	1,344	793	253	173	154
मिजोरम	455	336	323	471	428	410	514	581	543	86	75	72
नागालैंड	688	447	432	755	560	532	757	731	658	128	97	93
त्रिपुरा	1,242	1,034	987	1,202	1,416	1,361	1,644	1,781	1,624	490	273	258

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-888

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत अधिष्ठापनों की जाँच और निरीक्षण हेतु फीस लगाना

888. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विभिन्न विद्युत अधिष्ठापनों की जाँच और निरीक्षण हेतु राज्य विद्युत निरीक्षणालय द्वारा फीस लगाने के मामले पर कोई कार्रवाई की है क्योंकि वर्तमान में राज्य विद्युत निरीक्षणालय जाँच और निरीक्षण शुल्क नहीं लगा पा रहा है जिसके कारण राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा तत्काल रूप से राज्य विद्युत निरीक्षणालय द्वारा विभिन्न विद्युत अधिष्ठापनों की जाँच और निरीक्षण के लिए फीस वसूलने की पहले से प्रचलित प्रथा को बहाल करने हेतु आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में यह प्रस्ताव किया गया है कि समुचित सरकार मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षकों द्वारा जांच, निरीक्षण और सेवाओं को शुरू करने के लिए दिए जाने वाले शुल्कों और प्रभारों को निर्धारित कर सकती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-889

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्र हेतु जल की आवश्यकता

889. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों को विद्युत के उत्पादन के दौरान अत्यधिक जल की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्रों को उन क्षेत्रों में स्थापित किया गया है जहां जल की कमी है जिससे उन क्षेत्रों में जल की और कमी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाए करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जल ताप विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य इनपुट आवश्यकताओं में से एक है। कंडेंसर को ठंडा करने की प्रक्रिया राख निपटान, संयंत्र सहायक साधनों में उत्पादित ताप को हटाने, भाप उत्पादन हेतु बायलर मेकअप तथा विभिन्न अन्य संयंत्र खपतकारी प्रयोगों जैसे सर्विस वाटर, पेय जल इत्यादि के लिए जल की आवश्यकता होती है। वैट कूलिंग टावर सिस्टम सहित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के लिए विशिष्ट जल खपत आवश्यकता लगभग 3.0 घनमीटर प्रति मेगावाट घंटा है। गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र के लिए वैट कूलिंग टावर सिस्टम सहित विशिष्ट खपतकारी जल आवश्यकता लगभग 1.4 घनमीटर प्रति मेगावाट घंटा है। खपतकारी जल के बड़े हिस्से से संयंत्र की कूलिंग टावर मेकअप आवश्यकता पूरी होती है।

(ग) से (ङ) : मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम (यूपीआरवीयूएनएल), मैसर्स नेवैली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) तथा मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के

जल की कमी वाले क्षेत्रों में कई भी प्रचालनात्मक/निर्माणाधीन (केंद्रीय क्षेत्र/राज्य क्षेत्र) ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है।

ताप विद्युत संयंत्रों में जल की खपत को कम करने के लिए अपनाए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- (i) राख जल पुनः परिचालन प्रणाली राख पॉण्ड से जल की पुनः प्राप्ति की जाती है तथा राख प्रबंधन प्रणाली में इसे दोबारा उपयोग में लाया जाता है।
- (ii) ड्राई फ्लाइंग ऐश हैंडलिंग सिस्टम एंड हाई कंसंट्रेशन स्लरी डिस्पोजल सिस्टम (एचसीएसडी) - ये राख प्रबंधन तकनीकें राख प्रबंधन जल आवश्यकता को कम करती हैं जिससे पानी की खपत कम होती है।
- (iii) हायर साइकल ऑफ कंसंट्रेशन (सीओसी) पर कूलिंग टावरों का प्रचालन करना। इससे संयंत्र से निकले अनुपयोगी जल में कमी आती है।
- (iv) एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) संयंत्र से निकले अनुपयोगी जल का उपचार करना तथा राख प्रबंधन, कोयले की धूल के शमन तथा बागवानी इत्यादि में उसका दोबारा उपयोग करना।
- (v) जीरो वाटर निस्सरण प्रणाली- इस प्रणाली द्वारा संयंत्र से निकले कुल अनुपयोगी जल का संयंत्र सीमा से जल की निकासी के बिना उचित रूप से निपटारा किया जाता है, ताकि विद्युत संयंत्र की खपतकारी जल की आवश्यकता को कम किया जा सके।

कई वर्षों से ताप विद्युत संयंत्रों के लिए बंद साइकल सीडब्ल्यू प्रणाली हेतु खपतकारी जल की आवश्यकता लगभग 7 घनमीटर प्रति मेगावाट घंटा से घटकर लगभग 3 घनमीटर प्रति मेगावाट घंटा हो गई है।

- (vi) प्रशुल्क नीति, 2016 में नगर-निगम/स्थानीय निकायों की 50 किमी की परिधि के भीतर स्थित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उपचारित किए गए सीवेज जल के उपयोग का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-892

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत संयंत्र

892. श्रीमती कमला पाटले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है और उनकी कोयले की वार्षिक आवश्यकता कितनी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

सीईए के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ सहित देश में लगभग 276 ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) (कोयला, गैस तथा डीजल) हैं, जिनकी कुल संस्थापित क्षमता 2,20,576 मेगावाट है। छत्तीसगढ़ में 20,908 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाले लगभग 27 ताप विद्युत संयंत्र हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए उत्पादन लक्ष्य के आधार पर, वर्ष 2017-18 के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कोयला आवश्यकता लगभग 630 मिलियन टन है जिसमें काफी संयंत्र आंशिक रूप से अथवा अधिकांश रूप से आयातित कोयले पर आधारित हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-893

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

रुकी हुई विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार

893.श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देशभर में रुकी हुई विद्युत परियोजनाओं के पुनरुद्धार हेतु कोई कार्य योजना बनाई है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जिन परियोजनाओं को पुनरुद्धार कार्यक्रम हेतु चिन्हित किया है उनका ब्यौरा क्या है; और
- (ग) जिन रुकी हुई विद्युत परियोजनाओं को शुरू किया गया है उनका अनुमानित विद्युत उत्पादन और अनुमानित लागत कितनी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार 34 दबावग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक के दौरान, सरकार ने विद्युत क्षेत्र में दबाव के प्रमुख कारणों को चिन्हित किया है, जो निम्नानुसार हैं:

- (i) नियमित ईंधन आपूर्ति प्रबंधन का उपलब्ध न होना।
- (ii) विद्युत क्रय करार (पीपीए) टाई अप का अभाव।
- (iii) इक्विटी और सेवा ऋण प्रदान करने के लिए प्रवर्तक की असमर्थता।
- (iv) विनियामक और संविदा संबंधी मामले।

सरकार ने क्षेत्र में कठिनाई कम करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. नियमित कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 17.05.2017 को विद्युत क्षेत्र के लिए नई कोयला आबंटन नीति, 2017 अर्थात शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का प्रयोग

करने और आबंटन करने के लिए स्कीम) का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत भविष्य में निष्कर्ष किए जाने वाले दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों (पीपीए) और मध्यावधि विद्युत क्रय करारों के लिए पहले से किए गए करारों के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को कोयला उपलब्ध करवाया जाता है।

2. विद्युत की बढ़ी हुई खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

क. देश की विद्युत वितरण यूटिलिटीयों (डिस्कॉमों) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्न अराउंड के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम।

ख. प्रत्येक घर, उद्योग, वाणिज्यिक व्यापार, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा स्थापना के लिए विद्युत की निर्बाध गुणवत्ता लाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी के लिए विद्युत (पीएफए) पहल

ग. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई); ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण और वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।

घ. शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस): शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण।

ङ. पारेषण अवरोधों को दूर करने के लिए पारेषण क्षमता संवर्द्धन।

च. विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयला के उपयोग में लचीलापन।

(ग) : मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लि. द्वारा सिक्किम में तीस्ता-III एचईपी (6x200 = 1200 मेगावाट) नामक एक जल विद्युत परियोजना, जो कि प्रारंभ में निधि की कमी के कारण रुकी हुई थी, को प्रचालनात्मक बनाया गया था। अक्टूबर, 2015 में कार्य पुनः आरंभ किया गया और परियोजना फरवरी, 2017 में पुनः शुरू की गई थी। इस परियोजना से संभावित विद्युत उत्पादन 5296 एमयू है। परियोजना की अनुमानित लागत 13,965 करोड़ रुपए है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-899

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

गैसफायर्ड उत्पादन क्षमता

899. डॉ. उदित राज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ईंधन की कमी के कारण 16,000 मेगावाट गैसफायर्ड उत्पादन क्षमता व्यर्थ पड़ी है;
- (ख) मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा इन संयंत्रों में किए गए कई बिलियन डॉलर के निवेश की बर्बादी नहीं हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या मंत्रालय ने अब तक संग्रहित कोयला उपकर के उपयोग के लिए कोई रणनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या मंत्रालय का वर्तमान और भावी कोयला उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में विपथन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : घरेलू गैस उपलब्ध न होने के कारण देश में कुल 14305 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता बंद पड़ी हुई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) ने बताया है कि विद्युत क्षेत्र को घरेलू गैस की आपूर्ति वर्तमान उत्पादन स्तर के अनुसार की जा रही है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत क्षेत्र को घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति ही भविष्य में उत्पादन स्तर में वृद्धि कर सकती है।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 जिसे दिनांक 12.4.2017 को अधिसूचित किया गया है, में यह व्यवस्था है कि पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड जल आदि पर कुछ अन्य उपकर सहित कोयला उपकर में जीएसटी मुआवजा निधि शामिल होगी और इसका उपयोग जीएसटी कार्यान्वयन के कारण संभाव्य हानियों के लिए उन्हें मुआवजा देने हेतु पाँच वर्षों के लिए राज्यों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। पाँच वर्षों के पश्चात, बची हुई किसी भी राशि की हिस्सेदारी केंद्र और राज्यों के बीच 50% के आधार पर की जाएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-901

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

डिस्कॉम का पुनरुद्धार

901. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य विद्युत डिस्कॉमों की राज्य-वार कितनी लाभ या हानि रही;
- (ख) इन राज्य विद्युत कंपनियों की विद्युत उत्पादन क्षमता में ठहराव/गिरावट के सरकार ने क्या कारण पहचान किए हैं;
- (ग) क्या सरकार इन राज्य विद्युत डिस्कॉमों के ऋणों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो विचार किए जा रहे ऋण पुनर्गठन प्रस्तावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" प्रकाशित करता है। पीएफसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत बेचने वाली यूटिलिटियों की राज्य-वार हानियां अनुबंध में दी गई है।

(ख) : राज्य क्षेत्र विद्युत यूटिलिटियों में विद्युत उत्पादन क्षमता 12वीं योजना अवधि के दौरान लक्ष्य से 57% तक बढ़ गई है। 12वीं योजना अवधि के दौरान परम्परागत स्रोतों से राज्य क्षेत्र उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 15,530 मेगावाट था, जिसके लिए 24,477 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई थी।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने 20-11-2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की थी। जिसमें उनके प्रचालनात्मक सुधार और वित्तीय टर्नअराउण्ड को सक्षम बनाने के लिए बॉन्ड जारी करके/ ऋणों के पुनः मूल्य निर्धारण के माध्यम से राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्कॉमों) के ऋण को नये सिरे से तैयार करने पर विचार करने की अनुमति देता है।

अब तक, अपने डिस्कॉमों के साथ 26 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने उदय के अन्तर्गत विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य और उनकी वितरण यूटिलिटियों ने 2.32 लाख करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड जारी किए हैं।

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 901 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत बेचने वाली यूटिलिटियों के लिए लाभ/(हानि)

रुपए करोड़

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		
			प्रौद्गत आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	प्रप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	प्रौद्गत आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	प्रप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	प्रौद्गत आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	प्रप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	प्रौद्गत आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	प्रप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	प्रौद्गत आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	प्रप्त सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	(1,332)	(1,332)	(2,662)	(2,662)	(1,088)	(1,088)					
		एनबीपीडीसीएल					(56)	(56)	(74)	(74)	(297)	(491)	
		एसबीपीडीसीएल					(84)	(84)	(269)	(269)	(748)	(748)	
	बिहार कुल			(1,332)	(1,332)	(2,662)	(2,662)	(1,227)	(1,227)	(343)	(343)	(1,044)	(1,239)
	झारखण्ड	जेएसईबी	(723)	(723)	(3,211)	(3,211)	(2,668)	(2,668)	(3,950)	(3,950)			
		जेबीवीएनएल							(71)	(71)	(37)	(37)	
	झारखण्ड कुल			(723)	(723)	(3,211)	(3,211)	(2,668)	(2,668)	(4,021)	(4,021)	(37)	(37)
	ओडिशा	सीईएसयू	(87)	(87)	(257)	(257)	(316)	(316)	(199)	(199)	(202)	(202)	
		एनईएससीओ	(72)	(72)	(92)	(92)	(77)	(77)	(45)	(45)	(123)	(123)	
		एसईएससीओ	(19)	(19)	(22)	(22)	(34)	(34)	(11)	(11)	(379)	(379)	
		डब्ल्यूईएससीओ	(38)	(38)	(52)	(52)	(132)	(132)	(87)	(87)	(224)	(224)	
	ओडिशा कुल			(215)	(215)	(423)	(423)	(559)	(559)	(342)	(342)	(929)	(929)
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	(23)	(23)	(17)	(17)	39	39	33	33	(126)	(126)	
	सिक्किम कुल			(23)	(23)	(17)	(17)	39	39	33	33	(126)	(126)
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	95	95	73	73	82	82	19	19	20	20		
पश्चिम बंगाल कुल			95	95	73	73	82	82	19	19	20	20	
पूर्वी कुल			(2,198)	(2,198)	(6,240)	(6,240)	(4,332)	(4,332)	(4,654)	(4,654)	(2,116)	(2,310)	
पूर्वोत्तर	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल पीडी	(182)	(182)	(274)	(274)	(255)	(255)	(428)	(428)	(257)	(257)	
	अरूणाचल प्रदेश कुल			(182)	(182)	(274)	(274)	(255)	(255)	(428)	(428)	(257)	(257)
	असम	एपीडीसीएल	(486)	(486)	(408)	(558)	(418)	(568)	(528)	(693)	(578)	(578)	
	असम कुल			(486)	(486)	(408)	(558)	(418)	(568)	(528)	(693)	(578)	(578)
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	(204)	(204)	(307)	(307)	(315)	(315)	(194)	(194)			
		एमएसपीडीसीएल											
	मणिपुर कुल			(204)	(204)	(307)	(307)	(315)	(315)	(194)	(194)		
	मेघालय	एमईईसीएल	(114)	(114)	(204)	(204)							
		एमईपीडीसीएल					(221)	(221)	(295)	(295)	(202)	(202)	
	मेघालय कुल			(114)	(114)	(204)	(204)	(221)	(221)	(295)	(295)	(202)	(202)

	मिजोरम	मिजोरम पीडी	(158)	(158)	(127)	(127)	(200)	(200)	(192)	(192)	(192)	(192)
	मिजोरम कुल		(158)	(158)	(127)	(127)	(200)	(200)	(192)	(192)	(192)	(192)
	नागालैण्ड	नागालैण्ड पीडी	(179)	(179)	(214)	(214)	(212)	(212)	(191)	(191)	(315)	(315)
	नागालैण्ड कुल		(179)	(179)	(214)	(214)	(212)	(212)	(191)	(191)	(315)	(315)
	त्रिपुरा	त्रिपुरा पीडी	(126)	(130)	(157)	(157)						
		टीएसईसीएल					(107)	(107)	(62)	(62)	(60)	(82)
	त्रिपुरा कुल		(126)	(130)	(157)	(157)	(107)	(107)	(62)	(62)	(60)	(82)
पूर्वाञ्चल कुल			(1,450)	(1,454)	(1,692)	(1,842)	(1,730)	(1,880)	(1,891)	(2,056)	(1,603)	(1,625)
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	388	388	121	121	21	21	8	8	63	63
		बीएसईएस यमुना	155	155	21	21	25	25	11	11	19	19
		टीपीडीडीएल	258	258	339	339	310	310	334	334	336	336
	दिल्ली कुल		801	801	481	481	356	356	353	353	418	418
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	(792)	(955)	(4,599)	(4,599)	(1,352)	(1,352)	(2,089)	(2,089)	(636)	(636)
		यूएचबीवीएनएल	(129)	(129)	(8,604)	(8,604)	(2,297)	(2,297)	(1,465)	(1,465)	(1,481)	(1,481)
	हरियाणा कुल		(921)	(1,084)	(13,203)	(13,203)	(3,649)	(3,649)	(3,554)	(3,554)	(2,117)	(2,117)
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	(122)	(122)								
		एचपीएसईबी लि.	(380)	(380)	(513)	(513)	(340)	(340)	(137)	(137)	(125)	(125)
	हिमाचल प्रदेश कुल		(502)	(502)	(513)	(513)	(340)	(340)	(137)	(137)	(125)	(125)
	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर पीडीडी	(2,167)	(2,167)	(3,037)	(3,037)	(3,129)	(3,129)	(2,387)	(2,387)	(3,913)	(3,913)
		जम्मू एवं कश्मीर कुल		(2,167)	(2,167)	(3,037)	(3,037)	(3,129)	(3,129)	(2,387)	(2,387)	(3,913)
	पंजाब	पीएसपीसीएल	(1,640)	(1,640)	(537)	(459)	261	94	249	249	133	(1,100)
	पंजाब कुल		(1,640)	(1,640)	(537)	(459)	261	94	249	249	133	(1,100)
	राजस्थान	एवीवीएनएल	(6,907)	(6,907)	(7,596)	(7,596)	(3,905)	(3,905)	(4,843)	(4,843)	(3,593)	(3,593)
		जेडीवीवीएनएल	(6,827)	(6,827)	(6,179)	(6,179)	(4,285)	(4,285)	(5,299)	(5,299)	(4,146)	(4,146)
		जेवीवीएनएल	(7,636)	(7,636)	(5,797)	(5,797)	(4,161)	(4,161)	(5,503)	(5,503)	(4,735)	(4,735)
	राजस्थान कुल		(21,370)	(21,370)	(19,572)	(19,572)	(12,351)	(12,351)	(15,645)	(15,645)	(12,474)	(12,474)
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	(1,322)	(1,322)	(2,840)	(2,840)	(3,364)	(3,364)	(5,521)	(5,521)	(2,936)	(2,936)
		केईएससीओ	(182)	(182)	(384)	(384)	(545)	(545)	(674)	(674)	(168)	(168)
		एमवीवीएन	(742)	(742)	(1,765)	(1,765)	(2,033)	(2,033)	(3,263)	(3,263)	(1,994)	(1,994)
		पाश वीवीएन	(453)	(453)	(1,992)	(1,992)	(1,303)	(1,303)	(3,172)	(3,172)	(1,577)	(1,577)
		पूर्व वीवीएन	(1,268)	(1,268)	(2,244)	(2,244)	(2,533)	(2,533)	(4,095)	(4,095)	(2,000)	(2,000)
	उत्तर प्रदेश कुल		(3,966)	(3,966)	(9,224)	(9,224)	(9,778)	(9,778)	(16,724)	(16,724)	(8,675)	(8,675)
	उत्तराखण्ड	यूटी पीसीएल	(204)	(204)	(55)	(55)	(16)	(16)	323	323	(260)	(260)
	उत्तराखण्ड कुल		(204)	(204)	(55)	(55)	(16)	(16)	323	323	(260)	(260)
उत्तरी कुल			(29,969)	(30,132)	(45,660)	(45,582)	(28,647)	(28,814)	(37,521)	(37,521)	(27,012)	(28,245)
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	3	(778)	4	(1,476)	(7,718)	(7,718)	(811)	(811)		
		एपीईपीडीसीएल	13	(572)	25	(963)	(1,681)	(1,681)	(136)	(136)	(722)	(722)
		एपीएनपीडीसीएल	7	(409)	3	(874)	(3,436)	(3,445)	(31)	(31)		
		एपीएसपीडीसीएल	3	(418)	6	(710)	(4,673)	(4,678)	(401)	(401)	(1,675)	(1,827)

	आंध्र प्रदेश कुल		26	(2,178)	38	(4,022)	(17,508)	(17,522)	(1,379)	(1,379)	(2,397)	(2,549)	
	कर्नाटक	बीईएससीओएम			118	107	(433)	(433)	76	76	113	113	
		सीएचईएससीओएम	11	11	(123)	(269)	(270)	(337)	(16)	(72)	40	37	
		जीईएससीओएम	61	61	(5)	34	(189)	(189)	38	38	(110)	(110)	
		एचईएससीओएम	(65)	(65)	40	40	41	41	(576)	(576)	30	30	
		एमईएससीओएम	2	2	6	6	13	13			14	14	
	कर्नाटक कुल		10	10	36	(82)	(838)	(905)	(478)	(534)	88	85	
	केरल	केएसईबी	241	241	241	241	241	241	140	140			
		केएसईबीएल							(24)	(24)	(1,273)	(1,273)	
	केरल कुल		241	241	241	241	241	241	116	116	(1,273)	(1,273)	
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	(134)	(134)	(164)	(164)	(308)	(308)	(60)	(60)	157	157	
	पुडुचेरी कुल		(134)	(134)	(164)	(164)	(308)	(308)	(60)	(60)	157	157	
	तमिलनाडु	टीएनईबी	(6,273)	(6,273)									
		टेनजेडको	(5,634)	(5,634)	(13,321)	(13,308)	(11,679)	(12,064)	(13,985)	(14,052)	(12,757)	(12,757)	
	तमिलनाडु कुल		(11,907)	(11,907)	(13,321)	(13,308)	(11,679)	(12,064)	(13,985)	(14,052)	(12,757)	(12,757)	
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल									(1,343)	(1,741)	
		टीएसएसपीडीसीएल									(1,171)	(1,171)	
	तेलंगाना कुल										(2,513)	(2,912)	
	दक्षिणी कुल		(11,764)	(13,967)	(13,171)	(17,337)	(30,092)	(30,559)	(15,786)	(15,909)	(18,695)	(19,249)	
	पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	(581)	(581)	(2,012)	(2,012)	(498)	(498)	(630)	(630)	(1,554)	(1,569)
	छत्तीसगढ़ कुल		(581)	(581)	(2,012)	(2,012)	(498)	(498)	(630)	(630)	(1,554)	(1,569)	
	गोवा	गोवा पीडी	(79)	(79)	(271)	(271)	(285)	(285)	(4)	(4)	(17)	(17)	
	गोवा कुल		(79)	(79)	(271)	(271)	(285)	(285)	(4)	(4)	(17)	(17)	
	गुजरात	डीजीवीसीएल	63	63	76	76	25	25	52	52	51	51	
		एमजीवीसीएल	25	25	36	36	21	21	19	19	29	29	
		पीजीवीसीएल	3	3	9	9	11	11	10	10	11	11	
		यूजीवीसीएल	13	13	12	12	14	14	14	14	17	17	
	गुजरात कुल		103	103	134	134	71	71	95	95	108	108	
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	(605)	(605)	(1,129)	(1,129)	(1,593)	(1,595)	(2,672)	(2,672)	(2,728)	(2,765)	
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	(578)	(578)	(624)	(624)	(1,425)	(1,425)	(1,811)	(1,811)	(1,061)	(1,061)	
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	(974)	(974)	(1,167)	(1,167)	(1,432)	(1,432)	(1,887)	(1,893)	(1,162)	(1,175)	
	मध्य प्रदेश कुल		(2,157)	(2,157)	(2,920)	(2,920)	(4,450)	(4,452)	(6,370)	(6,376)	(4,950)	(5,001)	
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	(1,505)	(1,505)	(808)	(808)	(871)	(871)	(280)	(280)	(366)	(366)	
	महाराष्ट्र कुल		(1,505)	(1,505)	(808)	(808)	(871)	(871)	(280)	(280)	(366)	(366)	
	पश्चिमी कुल		(4,219)	(4,219)	(5,877)	(5,877)	(6,034)	(6,036)	(7,190)	(7,196)	(6,780)	(6,845)	
	सकल योग		(49,600)	(51,971)	(72,639)	(76,877)	(70,835)	(71,621)	(67,041)	(67,336)	(56,206)	(58,275)	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-916

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2017 को दिया जाना है।

पुराने विद्युत संयंत्र

916. श्री आर. धुवनारायणः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 25 वर्ष से अधिक पुराने ताप विद्युत संयंत्र बंद कर दिए जायेंगे चूंकि ये अधिक गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिसे मीडिया के एक वर्ग द्वारा पर्यावरण के लिए हानिकारक सूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार बंद किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ सरकार ने विद्युत समस्या के संकट को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं यदि इन ताप विद्युत संयंत्रों को बंद किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : ताप विद्युत संयंत्रों से गैसों का उत्सर्जन संयंत्र की उम्र की अपेक्षा उसके प्रचालन एवं रख-रखाव, स्थिति, तकनीकी पैरामीटरों, ईंधन की गुणवत्ता इत्यादि पर निर्भर करती है। भूमि, जल और कोयला जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के परामर्श से सरकारी क्षेत्र में 9456.5 मेगावाट के कोयला आधारित संयंत्र, जो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनकी अदक्षता और खर्चीले प्रचालन के आधार पर चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए अभिचिन्हित किए हैं। उपर्युक्त क्षमता में से अब तक 3,950 मेगावाट क्षमता बंद की जा चुकी है। विभिन्न बंद/बंद करने के लिए अभिचिन्हित यूनिटों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में है।

अन्य पहलुओं में ग्रिड स्थिरता, विद्युत के वैकल्पिक स्रोत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पणधारकों अर्थात् डिस्काम, पारेषण यूटिलिटियों इत्यादि के साथ अपेक्षित परामर्श के पश्चात संबंधित विद्युत यूटिलिटियों द्वारा यूनिटों को बंद करने का निर्णय लिया जाता है। देश में उत्पादन क्षमता की कमी नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 20.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 916 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

बंद/बंद करने के लिए अभिचिन्हित ताप विद्युत संयंत्रों की सूची

(क) सरकारी क्षेत्र में बंद कोयला आधारित यूनिटें [सितंबर, 2015 से जून, 2017 तक]

क्रम सं.	यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	सीईए द्वारा राष्ट्रीय संस्थापित क्षमता से हटाने की तिथि
मध्य प्रदेश					
1	एमपीपीजीसीएल	अमरकंटक टीपीएस (2x120 मेगावाट)	3 व 4	240	04.03.2016
हरियाणा					
2	एचपीजीसीएल	पानीपत टीपीएस (4x110 मेगावाट)	1 से 4	440	12.04.2016
महाराष्ट्र					
3	महाजैको	कोराडी टीपीएस (4x105 मेगावाट)	1 से 4	420	02.08.2016
4	महाजैको	चंद्रपुर टीपीएस (2X210 मेगावाट)	1 व 2	420	21.10.2016
5	महाजैको	पार्ली टीपीएस	3	210	21.10.2016
6	एमएसपीजीसीएल	कोराडी टीपीएस	5	200	24.04.2017.
पश्चिम बंगाल					
7	डीवीसी	दुर्गापुर टीपीएस	3	140	21.10.2016
8	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	संतालडीह टीपीएस (4x120 मेगावाट)	1 से 4	480	21.12.2016
9	डीपीएल	डीपीएल टीपीएस	3	70	20.02.2017
10	डीपीएल	डीपीएल टीपीएस	4	75	
11	डीपीएल	डीपीएल टीपीएस	5	75	
तमिलनाडु					
12	टांजैडको	एन्नोर टीपीएस (2x60 + 3x110 मेगावाट)	1 से 5	450	12.01.2017
गुजरात					
13	जीएसईसीएल	गांधीनगर टीपीएस (2x120 मेगावाट)	1 व 2	240	12.01.2017
झारखंड					
14	डीवीसी	चंद्रपुर टीपीएस	1	130	17.01.2017
15	पीवीयूएनएल	पतरातु टीपीएस (3x50 +100+110 मेगावाट)	1, 2, 3, 5 व 8	360	21.12.2016
कुल:				3950	

(ख) सरकारी क्षेत्र में बंद करने के लिए अभिचिन्हित कोयला आधारित यूनिटें

क्रम सं.	यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)
असम				
1	एपीजीसीएल	चंद्रपुर टीपीएस (2x30 मेगावाट)	1 व 2	60
गुजरात				
2	जीएसईसीएल	सिक्का टीपीएस	1	120
3	जीएसईसीएल	उकई टीपीएस (2 x 120 मेगावाट)	1 व 2	240
दिल्ली				
4	आईपीजीसीएल	राजघाट टीपीएस (2 x 67.5 मेगावाट)	1 व 2	135
5	एनटीपीसी लि.	बदरपुर टीपीएस (3 x 95 मेगावाट)	1, 2 व 3	285
मध्य प्रदेश				
6	एमपीपीजीसीएल	सतपुड़ा टीपीएस (200 + 210 मेगावाट)	6 व 7	410
7	एमपीपीजीसीएल	सतपुड़ा टीपीएस (2 X 210 मेगावाट)	8 व 9	420
पंजाब				
8	पीएसपीसीएल	रोपड़ टीपीएस (2 X 210 मेगावाट)	1 व 2	420
9	पीएसपीसीएल	जीएनडी (भटिंडा) टीपीएस (2 X 110 मेगावाट)	1 व 2	220
10	पीएसपीसीएल	रोपड़ टीपीएस (2 x 210 मेगावाट)	3 व 4	420
छत्तीसगढ़				
11	सीएसपीजीसीएल	कोरबा ईस्ट टीपीएस (4 x 50 मेगावाट)	1,2,3 व 4	200
उत्तर प्रदेश				
12	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज	5	60
13	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा टीपीएस (40 + 50 मेगावाट)	1 व 2	90
14	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा टीपीएस	8	94
15	यूपीआरवीयूएनएल	पंकी टीपीएस (2 x 105 मेगावाट)	3 व 4	210
झारखंड				
16	पीवीयूएनएल	पतरातु टीपीएस (50 + 100 + 3x110 मेगावाट)	4, 6, 7, 9 व 10	480
17	डीवीसी	चंद्रपुर टीपीएस (2 x 130 मेगावाट)	2 व 3	260
तमिलनाडु				
18	एनएलसी	नैवेली लिग्नाइट टीपीएस-I (6 x 50 + 3 x 100 मेगावाट)	1 से 9	600
तेलंगाना				
19	टीएसपीजीसीएल	कोथागुडेम टीपीएस (4 x 60 मेगावाट)	1 से 4	240
20	टीएसपीजीसीएल	कोथागुडेम टीपीएस (4 x 120 मेगावाट)	5 से 8	480
21	टीएसपीजीसीएल	रामागुंडम-बी टीपीएस	1	62.5
			कुल:	5506.5

सकल योग : 9456.5 मेगावाट
